LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that a letter has been received from Shri Joginipally Santosh Kumar, Member, stating that he is unable to attend the sitting of the Rajya Sabha from 4th December, 2023, to 22nd December, 2023, due to personal reasons.

Does he have the permission of the House to remain absent from the sitting of the Rajya Sabha from 4th December, 2023, to 22nd December, 2023?

(No hon. Member dissented.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

Now, Dr. Sasmit Patraji.

GOVERNMENT BILLS

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023,
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
&
The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 - *Contd.*

डा. सस्मित पात्रा (ओडिशा): माननीय उपसभापति महोदय, आज यह विशेष समय है जब एक ऐतिहासिक मौके पर एक वैकल्पिक परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं, जो शायद आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब भारतवर्ष देखेगा, तो लगेगा कि एक ऐतिहासिक मौका था और इस समय को, इस घड़ी को जरूर याद रखेगा। तमाम स्पीकर्स ने कई विषय रखे हैं और मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम तीनों बिलों का समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी के पूर्व वक्ता श्री सुजीत कुमार जी और श्रीमती सुलता देव जी ने कई विषय रखे हैं, मैं उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा।

मान्यवर, एक अहम विषय है और मैं सारे सांसदों को एक विषय आज बताना चाहता हूं। वह क्या है, वह सिर्फ इन तीन कानूनों के बारे में नहीं है, क्यों जानते हैं, मान्यवर! मुझे पता नहीं है कि हम में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नम्बर वन में जाकर वकीलों के बीच में खड़े हुए होंगे। जरूर खड़े हुए होंगे, मैं थोड़ी बहुत वकालत भी करता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन जब same-sex marriage पर Constitution Bench बैठी थी, तब एक intervener की हैसियत से मुझे वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। मान्यवर, वहां पर मैंने एक इंटरेस्टिंग विषय देखा। मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोगों की, जो वहां पर एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले, हम उसको यहां पर चैलेंज करके

स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। संसद क्या उखाड़ लेगी - यह सोच होती है। So, today, I am going to speak about the parliamentary sovereignty. संविधान सर्वोच्च है - यह सच है। जैसे हम ज्यूडिशरी से जाकर Judicial pronouncements नहीं करते हैं, हम आशा करते हैं कि जैसे हम पार्लियामेंट में लेजिस्लेट करते हैं, वैसे हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुण्ण रखा जाए। महोदय, यह बहुत जरूरी है।

मान्यवर, सेम सैक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था और मैं आज सदन के सामने जिसको रखना चाहता हूं, उसमें दो शब्द थे- 'legislative competence'. अगर आप एक इतना बड़ा सामाजिक बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक पाँच जजों की बेंच निर्णय कर ले और उसको 140 करोड़ की जनता को दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सैक्स मैरिज हो सकती है! तो मेरा आर्ग्युमेंट बहुत स्पष्ट था - इसको सदन को दे दिया जाए, because the Parliament reflects the true conscience and mandate of the people of this country. हम सभी, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता की आवाज़ से यहाँ पर आए हैं। मान्यवर, इसीलिए यह बहुत जरूरी है।

मान्यवर, वहाँ पर एक और विषय बार-बार आता है। जो माननीय मंत्रीगण हैं, कई बार आपको भी जब लॉ डिपार्टमेंट से ब्रीफ किया जा रहा होता है, तो केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत दुहाइयां दी जाती हैं। यह कहा जाता है कि केशवानंद भारती केस की वजह से जो बेसिक स्ट्रक्टर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर पर पार्लियमेंट का कोई अधिकार नहीं है, हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। मैं उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, वह बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती केस से आता है। मैं हमारे महामहिम वाइस प्रेसिडेंट साहब, माननीय सभापति राज्य सभा, श्री जगदीप धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया था, Eighty-Third All India Presiding Officers' Conference में, आज मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने basic Structure and parliamentary sovereignty के बारे में बहुत खूबसूरत बात बताई थी और मैं चाहता हूं कि इसको सदन सुने, क्योंकि कई बार होता है कि हम सांसद अपने अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। ज्यूडिशरी हमारे लेजिस्लेशन्स को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसे हटा देती है। उसके बाद सोलह राज्यों द्वारा उसे एप्रूव करने के बाद भी आज हम एनजेएसी में चुप्पी साधे खड़े हैं। हमारी यह चुप्पी साधने की आदत कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। हम सांसद हैं, हमारा अपनी 140 करोड़ जनता के लिए आईन बनाने, लेजिस्लेट करने, लॉज़ बनाने का अधिकार बनता है। लेकिन आज लेजिस्लेशन ज्यूडिशरी करती है और हम लोग लेजिस्लेशन भेज कर कहते हैं - यह कोर्ट में पेंडिंग है! कोर्ट में पेंडिंग है तो? कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। क्या ज्यूडिशरी के भरोसे पार्लियमेंट रहेगी? यह एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने Eighty-Third All India Presiding Officers' Conference में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और separation of powers – Legislature, Executive, and Judiciary के मापदंडों पर एक बहुत खूबसूरत विषय बोला था, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। I quote, "Democracy sustains and blossoms when the Legislature, the Judiciary and the Executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realise aspirations of the people. Judiciary cannot legislate in as much Legislature cannot

script a judicial verdict." जैसे एक ज्यूडिशरी लेजिस्लेट नहीं कर सकती, हम भी एक ज्यूडिशरी प्रनाउंसमेंट नहीं दे सकते। यह जो बार-बार दुहाई दी जाती है कि केशवानंद भारती, प्री केशवानंद भारती, पोस्ट केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर, इन विषयों पर आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, यह आपके अधिकार के दायरे में नहीं है आदि-आदि कहा जाता है, तो राज्य सभा और लोक सभा, दोनों ही सदनों के पास लेजिस्लेट करने के लिए संपूर्ण अधिकार है - यह स्पष्टता रहनी चाहिए। मैं सदन में कई बार सुनता हूं, हम बहुत लॉज़ बना रहे हैं, बहुत कानून बना रहे हैं, लेकिन जब कानून बनाते हैं, तो कुछ सदस्य कहते हैं, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों...। वे कहते हैं कि सर, यह ज्यूडिशियरी में लंबित है, यह contempt of court हो जाएगा। Can Parliament ever stand in contempt of court? Can the court give us rights and directives? यह भय कैसा है? हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए वे अधिकार वहाँ जा रहे हैं। मान्यवर, हम कई सारे कानून बनाते हैं। विशेषकर, आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि मजबूत बनिए। सांसदों का यह सदन 140 करोड़ जनता की आवाज है। उस आवाज का फैसला कॉंस्टीट्यूशन बेंच पर पाँच जज बैठकर नहीं तय कर सकते हैं। वे शायद अपने जजमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी पावर्स को इतने आराम से छोड़ना शुरू कर देंगे और हमारी पावर्स जाती रहेंगी, तो आप मंत्रालय में जो भी नियम बनाएंगे, कल वह ज्यूडिशियरी में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। कितनी बार दौड़ेंगे! मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ। There is a separation of powers given between the Legislative, the Executive and the Judiciary. ये तीनों अंग हैं और तीनों अंग बराबर हैं और सर्वोच्च है – Constitution, संविधान। हम अपने कानून बना रहे हैं, ये तीन बड़े कानून बन रहे हैं, कल इनमें से कई कोर्ट्स में चैलेंज्ड होंगे। हम अपने अधिकारों को समझें that we as a Parliament are sovereign; we have sovereignty; we have a duty to 140 crore people of this country. आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Sasmit Patra*ji*. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. This is purely on the subject. Sir, the three new legislations, namely, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiya Sakshya Bill (BSB) reflect a holistic approach to reforming the criminal justice system in India. By embedding transparency, accountability, efficiency and modernization into their provisions, these laws pave the way for a just, responsive and contemporary legal landscape that can better meet the needs and expectations of the Indian society.

Before the introduction of these three new Bills to overhaul the entire gamut of criminal laws in India, in the past, only piecemeal changes have been brought into the criminal laws. For instance, the Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 was a

direct result of the infamous Mathura rape case in 1972. Similarly, the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, was introduced after Nirbhaya case. The landmark directions regarding arrest and related safeguards given by the hon. Supreme Court of India in D.K. Basu *Vs.* State of West Bengal were also formally recognized by amending the Cr.P.C. But, this time, all the three criminal major laws in their entirety are sought to be replaced. A large emphasis has been placed upon seamless integration of the use of digital technologies in the criminal justice system. The codes have also removed references to several archaic and dated provisions.

Sir, there are some positive changes in Bharatiya Nyaya Sanhita. In an attempt to make criminal laws gender neutral, the meaning of the term 'gender' has been enlarged as clause 2(9) of BNS now defines 'gender' as the pronoun 'he' and its derivatives are used for any person, whether male, female or transgender.

Under the IPC, a potential victim of kidnapping can be a minor girl or a boy under 18 years and 16 years of age respectively. Decoding the intent of Legislature, it appears that the discrepancy in the age of girls and boys was on account of the socio-political set up of the country in the 19th Century. However, the BNS addresses the discrepancy and raises the age of a victim of kidnapping to 18 years irrespective of gender. Although the BNS retains the marital rape exemption clause, in the light of the judicial pronouncement in Independent Thought Vs. Union of India (2017) 10 SCC 800, the age bar under the clause has finally been raised to 18 years in the text of law as well as amending Exception 2 to Clause 63 of BNS. There has been a considerable shift in the approach of the Indian criminal justice system from the retributive system of punishment to the reformative one.

By including 'Community Service' as a new kind of punishment for petty offences, BNS also conforms the changed approach. 'Community service' means any service rendered for the betterment of the community without any compensation either voluntarily or compulsorily. As a punitive measure, the ambit of community service still needs to be determined. This gives birth to the need of a system to popularise the scheme as well as monitor and supervise compliance. The possible mechanisms could be setting up of district level community service committees or assigning the task to the existing probation officers. However, the new code remains silent on the specific modalities of the same which may leave scope for arbitrariness.

Sir, BNS showcases overall increment in punishment, especially, in the amount of fine. For instance, the amount of fine voluntarily causing hurt can be up to ten thousand rupees which, under the IPC, was mere one thousand rupees. This was a much-needed reform since the penalty prescribed under the IPC turned redundant as it served little purpose. Another positive variation witnessed in the BNS is the use

of the phrase 'person with mental illness' rather than insensitive words like lunatic, idiot, etc. The term 'mental illness' means a substantial disorder of thinking.

Sir, the debate whether 'right to life' includes 'right to die' seems to have come to an end with BNS not criminalising the attempt to commit suicide. Section 309 of IPC which criminalises the same with up to one-year imprisonment has not been retained in BNS despite the constitutional validity of Section 309 being upheld by a five-judge Bench of the Supreme Court in Gian Kaur vs. the State of Punjab 1996 AIR 946. However, the same provision, currently, does not have a penalising impact in the current times by virtue of Section 115(1) of Mental Healthcare Act, 2017. It additionally casts a duty on the appropriate Government to provide care, treatment and rehabilitation of the person.

Sir, one of the biggest complaints which people have had with IPC for 163 years is that the definition of 'murder' and 'culpable homicide not amounting to murder' is ambiguous. This often leads to conflicting and confusing interpretations as the demarcation between the two is not clear. The new law still retains the same definitions for both these clauses.

As per the landmark verdict given by the hon. Supreme Court of India in Navtej Singh Johar & Ors. Vs. Union of India AIR 2018 SC 432, homosexual relationships as per Section 377 of IPC were decriminalised. But Section 377 stood decriminalised only to the extent that it criminalised consensual sexual intercourse between the adults. Although it was widely recommended that a version of the erstwhile Section 377 should be retained, even the new draft has failed to do the same. This is quite problematic as now there is no recourse for sexual offences of rape against men or transgenders in the penal code. Similarly, another recommendation that the offence of 'Adultery' should be retained in the gender-neutral form was ignored in this Bill. While 'attempt to suicide' has been decriminalised, the offence has not totally been discarded since a version of it is criminalised under Clause 224 of the BNS where the intention is to compel or restrain a public servant from discharging his official duties.

Sir, BNS has introduced new offence as per Clause 69 wherein sexual intercourse by deceitful means is criminalised. Under the IPC, consent obtained by false promise to marry is not a valid consent as per Section 90 of the Code. This new provision is intending to cover instances where there is sexual intercourse pursuant to a false promise to marry a woman.

Sir, BNS by a new Clause 102 also restores the essence of Section 303 of IPC which prescribed a mandatory death sentence who commits murder while serving a life sentence. This Clause was also held unconstitutional by the Supreme Court as per its verdict in the landmark case of *Mithu Singh versus State of Punjab* AIR 1983

Supreme Court 473. It has been claimed by the drafters that the controversial provision regarding the offence of sedition in IPC under Clause 124A has finally been removed. However, the BNS introduces a new provision as per Clause 150, which criminalizes 'acts endangering sovereignty, unity and integrity of India'. It can be observed that the essence of the offence of sedition has been retained in the new law as well. The BNS also criminalizes 'organized crimes' and 'terrorist acts' as per Clauses 109 and 111, respectively, which was not the case with the IPC. These provisions cover a wide ambit of activities, which were not criminalized under the general penal framework of the IPC.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude, please. Your time is already over. Please conclude in one minute.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I am a practising lawyer. Please permit me to speak for two minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that. Please conclude within one minute.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, this is a subject relating to us. I have covered just one Act. I will try to conclude soon.

Sir, talking about the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, a specific clause now finally defines the phrase 'audio-visual electronic means' in Clause 2(1) (a) of BNSS. Similarly, Clause 2(1) (f) of the new code elaborates the scope of 'electronic communication'. The BNSS contains multiple references to these two phrases. Clause 105 provides for recording of search and seizure through audio-video electronic means. Even FIR can be registered by such digital means now, which will finally lead to a better legal recognition for Zero FIRs. The BNSS also removes several archaic terminologies.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I will conclude.

The provisions are now better structured so that the pursuit of justice is not defeated on account of delay in the proceedings. An addition to Clause 356 in the Sanhita provides a speedy trial mechanism to conduct a trial in the absence of a 'proclaimed offender'. After a trial culminates, judgements have to be pronounced within 45 days and uploaded online in one week. In the present circumstances, even

though judgements are pronounced within 45 days, appeals are pending for 15-20 years before the court.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, in Delhi, there are 188 courts, but no buildings or court rooms. Finally, I wish to congratulate our hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy on his birthday and also request him to change his mind, implement the laws and make the constitutional bodies work independently.

श्री उपसभापति: धन्यवाद। नीरज शेखर जी, आपके पास 5 मिनट है। यहाँ 5 मिनट का उल्लेख है। आप कृपया माइक ऑन कर लीजिए।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, आज मुझे इन ऐतिहासिक बिल्स पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के दिन आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधान मंत्री जी का, जिन्होंने 2019 में ही कहा था कि ब्रिटिश राज के जो कानून हैं, उनको बदलने की जरूरत है। उसके बाद गृह मंत्री जी ने लगातार 4 सालों तक इन पर काम किया। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे स्टैंडिंग कमिटी में भी इनको देखने का मौका मिला। स्टैंडिंग कमिटी का हमारा जो अनुभव रहा, हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय बृज लाल जी पहले बोले, मेरे विपक्ष के साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके तीन-चार मुद्दे थे, मुझे यह लगा कि बस वे विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का विरोध था कि इसमें अंग्रेजी में नाम क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसका जवाब तो लोगों ने ही उनको दे दिया है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन बिल्स पर कोई विचार नहीं हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने कोई विचार नहीं किया है। आप सबको पता है कि 4 साल तक लगातार इस पर काम हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ से पूछा गया। सारे सांसदों को गृह मंत्री जी ने खुद ख़त लिखा कि आपको जो सुझाव देने हैं, दीजिए। 170 सांसदों ने सुझाव भी दिए। 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़ से पूछा गया। हर राज्य सरकार को लिखा गया, हर यूनियन टेरिटरी को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा गया। इनको हर व्यक्ति के लिए खोला गया कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सुझाव दीजिए, इन बिल्स में उन सुझावों को जोड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथी फिर भी कहते रहे कि इन पर काम नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ, क्योंकि वे बस इनका विरोध करना चाहते थे।

5.00 P.M.

वे नहीं चाहते कि जो ब्रिटिश काल का - वे गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जब उनकी पार्टी बनी थी, तब उसका पहला अध्यक्ष एक अंग्रेज़ था, वे लोग आज तक उसी गुलामी में काम कर रहे हैं, इसीलिए वे उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बिल्स के लिए किस तरह का काम हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारी उस स्टैंडिंग कमेटी में दो-तीन सदस्य ऐसे थे, जो कि मीटिंग्स में कभी नहीं आये, लेकिन कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मैं तो आज उनके सामने कहना चाहता था। इन बिल्स के लिए जिस तरह से काम हुआ है और बिल में जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में एक-दो बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 5 मिनट का ही समय मिला है।

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो 'राजद्रोह' का विषय है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। 'राजद्रोह' को अब 'देशद्रोह' कर दिया गया है। इस पर तो उन लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध काम कर रहा है और उस पर अगर कानून बना है, तो उसमें तो हमारे विपक्ष के साथियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भी उन लोगों को आपत्ति होगी।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि पहली बार इसमें 'कम्युनिटी सर्विस' को जोड़ा गया है। हमारे कई साथी कह रहे थे, यह नहीं बताया कि यहाँ क्या-क्या होना चाहिए। वह हमने गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया है। हमने कहा है कि कम्युनिटी सर्विस बहुत जरूरी है। मैं यह मानता हूँ कि अंडरट्रायल्स का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी जेलों में सबसे ज्यादा लोग अगर कोई हैं, तो वे अंडरट्रायल्स हैं। 80 फीसदी लोग, जो आज भी जेलों में बन्द हैं, वे अंडरट्रायल्स हैं। छोटे क्राइम्स के कारण कुछ दिनों के लिए वे अन्दर जाते हैं, लेकिन वे कई सालों तक उन जेलों में रहते हैं। इस कानून से अंडरट्रायल्स की जो संख्या है, उसमें कमी आयेगी। इसलिए कानून में यह बहुत अच्छा शब्द 'कम्युनिटी सर्विस' जोड़ा गया है।

टेररिज्म की जो नयी परिभाषा दी गयी है, पहले जो परिभाषा UAPA में थी, उसको अब इसमें भी लाया गया है तथा उसमें कुछ और भी जोड़ा गया है। हमारे देश में यह बहुत आवश्यक था, क्योंकि टेररिज्म से सब लोग पीड़ित हैं।

मैं दूसरी बात 'ज़ीरो एफआईआर' की कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे जो शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह 'ज़ीरो एफआईआर' है। जो एफआईआर वे कहीं दूसरी जगह पर दायर करेंगे, वह 24 घंटे में उस पुलिस स्टेशन पर जरूर रजिस्टर होनी चाहिए, जहाँ के लिए वह एफआईआर है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने यह एक आन्दोलनकारी कदम उठाया है।

Trial in absentia - मैं मानता हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी हमेशा यह कहते हैं कि लोग इस देश से भाग गए और यहाँ से भाग कर वे दूसरे देशों में आराम से रह रहे हैं। अब यह कानून आया है कि उन पर भी इस देश में मुकदमे चलेंगे और उनमें उनको सजा भी मिलेगी। न केवल उनको सजा मिलेगी, बल्कि उसके बाद अगर यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको भी ज़ब्त किया जाएगा। यह कानून मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए सबक होगा, जो इस देश की धन-सम्पत्ति लेकर बाहर चले जाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं और बाहर जाकर संरक्षण ले लेते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ अन्य देशों में चले जाते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, अन्त में, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश राज का जो कानून था, वह केवल दंड के लिए था और अब ये जो कानून बन रहे हैं, ये अपने लोगों के लिए हैं, personal liberty के लिए हैं, human rights के लिए हैं और equality के लिए हैं और इनसे लोगों को न्याय मिलेगा। मैं

फिर से इन कानूनों का समर्थन करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा देश इनका समर्थन करेगा, धन्यवाद, जय हिन्द!

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on these important Bills. We are replacing three Acts, which were in practice in the 19th and 20th century, by way of new Bills. Today, we are in the 21st century. These Bills have come at an appropriate time for the interest and safety of the people of our nation. Our judiciary is already overburdened with giving clarifications on various laws that have been passed in the Parliament. I thank the Home Minister that he has not given another chance to the Judiciary so that it spends more time in giving clarity to the laws. I appreciate the Home Minister for bringing in these important Bills.

The new laws represent a significant shift from the colonial laws to create a more unified, equitable, responsive legal framework that aligns the current concerns and growing social standards. They are sensitive to today's serious challenges, like terrorism, mob lynching and cyber crimes. All these areas were not given much importance by the IPC's outdated provisions. I would specially like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for the clauses in this Bill which deal with women's safety, which have given protection to women in this nation. First, it provides for death penalty for gang rape of a minor girl, which has been introduced for the first time. Luring a young woman under false pretext of marriage has been declared offensive and stringent provision has been made to punish such persons. Incidents of chain snatching and mobile snatching have become very common. Women are scared throughout the country in this regard, whether in villages or in towns. Now, we have a penal provision to deal with this. Then, cyber bullying and stalking of ladies, forcing a woman to abort or miscarrying a foetus without her consent, buying and selling children for the purpose of prostitution are all very important aspects and these have been taken care of by the new law very strictly. On behalf of my party and the women of this country, I thank the hon. Home Minister for giving confidence to the women, maintaining their dignity and modesty which has been protected by the Government.

I would like to make two more points. For the first time, this Bill has brought terrorism, corruption and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. For a long time, the offence of hit-and-run was not codified and was not declared as an offence. This has also now come under the category of serious offence. The anti-social elements, damaging public property amounting to crores and crores of rupees, will face the heat of the law now.

To conclude, I would like to say that these three Bills herald a new era of legal system and stand as a testament of our commitment to uphold justice while embracing the necessary reforms. With these words, I thank you for giving me an opportunity to speak and support these Bills.

उपसभापतिः श्री बिप्लब कुमार देब जी, आपका पाँच मिनट का समय है।

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा)**:** माननीय उपसभापति महोदय, ये जो तीन कानून लाए गए हैं, मैं इनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यहाँ अभी उधर बैठने वाले लोग नहीं हैं, जिनकी जरूरत थी। मैंने देखा है कि हमारे देश में एक गाँव के साथ दूसरा गाँव है। अगर वहाँ कोई कानून गाँव वाले मिलकर बनाते हैं और यदि सामने वाले गाँव से चार-पाँच लोग आकर बैठ जाएँ और वे उस कानून के बारे में तय करें, तो उसको गाँव वाले नहीं मानते हैं। हमारे देश में ऐसे कई कस्टमरी लॉज़ हैं, जो देशी परिभाषा से बने हुए हैं और हमारे जनजातीय समाज में ऐसे कस्टमरी लॉज़ आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब, हमारे देश की कानून-व्यवस्था हमारे समाज के स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, वे लोग साथ वाले गाँव के लोगों द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते। यह जो लॉ है, इसे 150 साल पहले ब्रिटेन में जन्मे हुए व्यक्ति ने बनाया था। आज मैं गर्व करता हूँ कि भारत में जन्मे हुए व्यक्ति, अमित भाई शाह और माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी ये तीनों कानून नये तरीके से, भारतीय ढंग से लाए हैं, हालांकि उसमें बहुत देर हो गई।

यह भारतवासियों के लिए बहुत लज्जाजनक था, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद ऐसे लोग सत्ता में बैठे थे, जो कि उस समय देश में बैठे अंग्रेज़ों के प्रधान व्यक्ति माउंटबेटन की पार्टी में बैठे रहते थे, इसीलिए उनका लिखा हुआ कानून उन्हें पसंद है। हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, आम आदमी की जीवनशैली के बारे में बात करते हैं, इस कानून में आम आदमी के लिए सुविधा दी गई है, सहजतर laws बना दिए गए हैं, जनता को किस तरह से ये कानून समझ में आएं, इसकी व्यवस्था की गई है। यह ब्रिटिशर्स के समय नहीं किया गया था। देश में पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही कानून नहीं बनना चाहिए, बल्कि गरीब लोगों के लिए भी कानून बनने चाहिए, जो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए गए हैं। मैं स्टैंडिंग कमिटी का मेम्बर हूं, नीरज शेखर जी भी मेम्बर हैं। मैंने देखा कि किस तरह से इस बिल को देरी करके लाने के लिए प्रयास किए गए, कोई कारण नहीं है, फिर भी इसको और पेंडिग करो, यदि उनसे पूछो कि क्यों पेंडिंग करें, तो उनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ इसलिए करो, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए वही रखना है, यह इनकी सोच है। नरेन्द्र मोदी जी देश में जन्मे हैं, तो उनके द्वारा लाया हुआ कानून इन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माउंटबेटन की पार्टी में बैठे लोगों से वह पार्टी बनी हुई है।

उपसभापति महोदय, मैं देख रहा था कि हमारे देश में जो आम आदमी से जुड़ा हुआ खान-पान का विषय है, उस समय, ब्रिटिश के समय में हमारे देश में ही सब कुछ उत्पादित होता था, लेकिन यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती थी। यहां से रॉ मैटेरियल उठाते थे और ब्रिटेन में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, फिर उसको यहां लाकर बेचा जाता था। इसीलिए उस समय

ऐसे कानून बनाए गए थे कि वे मिलावट करें, भारतीय लोग कुछ भी खाएं, वे लोग जो भी बनाएं, उसको ही भारतीयों को खाना पड़ेगा। इसलिए उसमें मिलावट के अपराध के लिए 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया और मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 6 महीने कर दिया था, क्योंकि मिलावट करने वाले ब्रिटेन में बैठे हुए लोग होते थे, इसलिए उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। भारत के लोगों को ऐसा खाना मिले, वे बीमार पड़ें और ऐसे ही रहें, इस तरह से कानून बनाए गए। मैं गर्व करता हूं कि आज माननीय अमित शाह जी ने आम आदमी के लिए कानून बनाए। जो मिलावट करके छोटे बच्चे को खाना खिलाया जाता है, फिर उससे बीमारी पैदा होती है, उससे निजात दिलाने के लिए जुर्माने को 5 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 25 हज़ार रुपये कर दिया गया है, साथ ही इसमें सज़ा का प्रावधान मिनिमम 6 माह कर दिया गया है और अगर जज चाहे तो इसे बढ़ा कर 20 साल भी कर सकता है। इससे खाने में मिलावट करने से पहले लोगों मे मन में भय पैदा होगा, इससे हमारा हॉस्पिटल और दवाई का खर्च कम हो जाएगा। यह बिल सिर्फ मर्डर और हीनियस क्राइम करने वालों के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि आम आदमी के लिए बनाए गए इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जनता के लिए बनाया गया बिल है - यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए भारत की जनता और गरीबों के हित में लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति महोदय, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से आए हुए प्रधान मंत्री जी ने गुलामी के एक और प्रतीक को इस अमृत काल में समाप्त करने का काम किया है। वर्ष 2019 में उन्होंने एक प्रण किया था कि गुलामी के प्रतीक एक-एक करके हटाए जाएंगे। सरकार उस संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर आगे बढ़ रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक माननीय गृह मंत्री जी इन तीनों विधेयकों के सूत्रधार बने हैं। भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आईपीसी में 163 साल के बाद, सीआरपीसी में 125 साल के बाद और इंडियन एविडेंस एक्ट में 151 साल के बाद सुधार किया गया है। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देने के लिए यह कानून लाया गया है। ऐसी सरकार की मंशा है। इसमें संगठित अपराधों को शामिल किया गया है, राज्यों में गैंगस्टर कानून था, जिसका हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भरपूर उपयोग किया। आज गैंगस्टर के खिलाफ इस केन्द्र सरकार के कानून में भी प्रावधान है, इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है और अपराध नियंत्रण होने वाला है। लड़कियों और बच्चों के साथ दुराचार पर मृत्यु दंड जैसा प्रावधान करना, इस कानून की बहुत बड़ी चीज़ है। घोषित अपराधी, जो दस साल से कम सजा वाला है, वे भी और अधिक सजा वाले भी सभी इस अपराध में शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से तीन साल की सजा पाने वाले भी गिरफ्तार हो सकेंगे। अपराध की कमाई जब्त होगी, देश में कहीं भी एफआईआर कराओ की सुविधा प्राप्त हुई है। सात साल से कम अपराध वालों की जांच होगी और हर हालत में टाइम बाउंड दिया है कि तीन साल के भीतर केस का फैसला करना पड़ेगा, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी, 120 दिन में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। एक फिल्म का डायलॉग था-'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख', उसको भी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। बचाव पक्ष केवल दो तारीखें ले सकेगा, इसके बाद वह

अधिक तारीख नहीं ले सकेगा। Electronic और digital record को साक्ष्य कानूनी मान्यता, e-mail, server logs, smart phone, laptop, ये लोकेशन के साक्ष्यों को भी उन्होंने माना है। जीवन-साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में सक्षम गवाह पति-पत्नी को भी शामिल किया है। पहले 167 धारा और अब 170 धारा-एफआईआर से, case diary, charge sheet, judgement को digitize करने का काम इस सरकार ने किया है। सर्च और जब्ती की कार्रवाई में videography कराने की बात कही है। Forensic के लिए scientists तैयार करना और फिर forensic जांच कराना और जांच कराने पर उसके आधार पर सरकार ने यह संकल्प किया है कि 90 प्रतिशत केसों में हम सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा इस सरकार ने निर्णय लिया है।

मान्यवर, सात वर्ष से अधिक सजा वाले जो क्राइम प्रकरण हैं, उनमें forensic team crime scene तक भी दोहराने का काम करेगी। सरकार ने सबसे बड़ा काम summary trial का किया है। Summary trial का मतलब यह है कि सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट्स में न्याय की प्रक्रिया का भार कम होने वाला है। पुलिस भी दुरुपयोग न करे, इसकी भी व्यवस्था इस कानून में की गई है। मैंने पहले भी कहा था कि अधिकतम सीमा तीन साल निर्धारित की गई है। मैं इस संबंध में कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि 120 दिन में charge frame, भगोड़े पर ट्रायल, अगर वह देश छोड़कर भाग गया है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसे अपनी सजा के खिलाफ अपील करनी है, तो हिंदुस्तान में आना होगा, वह बाहर से अपील नहीं कर सकेगा। इस विशेष व्यवस्था को भी इसमें किया गया है। सीआरपीसी में घोषित अपराधी और दस साल से अधिक सजा वाले सभी अपराध शामिल किए गए हैं। सजा माफी में स्पष्ट कहा गया है कि किसी heinous crime वाले मुल्जिम को अगर सरकार चाहे, तो उसको छोड़ नहीं सकती है। अगर उसको फांसी है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास है, तो सात साल की सजा और सात साल की सजा है, तो तीन साल की सजा सरकार कर सकती है। किसी को छोड़ने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। पीड़ित को छोड़ने से पहले उसको सुनना पड़ेगा, यह भी compulsory किया गया है। आत्महत्या के प्रयास को भी अपराध की सूची से हटाने का काम किया है। आतंकवाद और संगठित अपराध को भी कानून में मान्यता दी गई है। जैसा पूर्ववक्ताओं ने कहा है कि महिलाओं के मामले में और 302 के अपराध को पहले किया गया है और जो राजाओं के काल की बातें थीं, उनको हटाने का काम किया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं इन तीनों कानूनों का समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इन कानूनों को लाकर न्याय क्षेत्र में देश में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और गरीब जनता का 'जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई' - मोदी जी गरीब घर से आए थे और गरीबों की चिंता उन्होंने की है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Laxmikant Bajpayee. Now, Shri Rwngwra Narzary. You have four minutes.

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on these very important Bills. The Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill, 2023 are proposed to replace the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Indian Evidence Act, 1872.

Sir, I, on behalf of my Party, United Peoples Party (Liberal), rise to support these three Bills moved by the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, in this august House. These Bills are unique and dynamic steps of the Narendra Modi Government towards running the country through good governance. The move towards bringing these legislations is a showcase of *Viksit Bharat* through good governance which is a dream project of Narendra Modi *ji*. The intention behind these Bills is to move India forward from colonial rule to modern, dynamic and developed India with the leadership of vibrant upcoming generation. These Bills will be able to bring new dawn for the citizens of India. They will provide a unique and transparent mechanism which will help in tackling any kind of lawless activities in the country. These Bills will be able to give positive message to the fellow citizens of the country that there is a strong rule of law where every responsible citizen will be protected and will be given justice in a time-bound manner and that the lawbreaker will be punished under the provisions of the transparent and strongest laws of the land.

Sir, I, on behalf of my Party, support these three Bills. With this, I conclude my speech. Thank you, Sir.

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, कल लोक सभा में और आज राज्य सभा में हिन्दुस्तान के इतिहास को गढ़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम देश के प्रधान मंत्री जी को, हमारे देश के गृह मंत्री जी के साधुवाद देना चाहते हैं। मान्यवर, इस देश में इन तीनों कानूनों को बदलने के दो लक्ष्य हैं। एक तो गुलामी के समय के चिह्नों को मिटाना, दूसरा लक्ष्य है देश को परिस्थिति के अनुरूप हिन्दुस्तान के हर आदमी को न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके। आश्चर्य तो यह है कि लगातार डेढ़ सौ वर्षों तक ऐसे कानून जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा बनाये गये थे, उनको हटाने में पूर्ववर्ती सरकार, जिसका थोड़ा कालखंड नहीं रहा है, उसने लगातार 58 साल तक दो-तिहाई बहुमत की हुकूमत – हिन्दुस्तान का कानून बदलने की, संविधान बदलने की जिनकी ताकत थी - उन्होंने इन औपनिवेशिक कानूनों को नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कानून नहीं बदले, उन्होंने कानून बदले हैं, जून, 1975 में – आजादी के बाद पहली बार हिन्दुस्तान के सारे संविधान के प्रावधानों को धूल-धूसरित करके – केवल एक आदमी की सत्ता बनी रहे, इसके लिए देश में इमरजेंसी को इम्पोज़ करने का काम किया है। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, ज्यूडिशियरी खत्म – सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब समाप्त किया - यह कानून बदला गया। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि वही बदला। इन्होंने दूसरा और कानून बदला - इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी चुनाव याचिका रद्द होने के बाद, इन्होंने कानूनों में retrospective effect से कानूनों में परिवर्तन किया और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सफल हो जाए, इसके लिए कानूनों में परिवर्तन किया।

मान्यवर, इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान सारे हिन्दुस्तान ने वह ज्यूडिशियरी देखी है कि अपनी चुनाव याचिका को सफल कराने के लिए, तीन-तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने का काम जिसने किया है। मान्यवर, यह काम किया है। मान्यवर, आज़ादी के इतिहास में यह हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है। यह नेतृत्व किसी राजनैतिक पुण्याई से नहीं आया है, कोई राजाओं की संतान नहीं हैं। सारी कांग्रेस - लोकमान्य तिलक से लेकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस तक सभी की पुण्याई को खाकर एक खानदान की हुकूमत चलाए रखने का काम आज भी जारी रखे हुए है। वाह रे नरेन्द्र मोदी जी।

उपसभापति जी, डेनिस किनकैड ने एक किताब लिखी है -विद्रोह का महावीर। उन्होंने तत्कालीन लड़ाइयों से छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई का कंपैरिज़न किया है। बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर जैसे जितने भी तानाशाह हैं, उनकी लड़ाई से छत्रपति शिवाजी की लड़ाई का कंपैरिज़न किया है। उन्होंने तुलनात्मक रूप से कहा है कि इतने कम साधन में विश्व के अंदर ऐसा कोई दूसरा सेनापति नहीं है। उन्होंने उस सेनापति की जो क्वालिटी गिनाई है, वह इस प्रकार से गिनाई है कि छत्रपति महाराज ने अपने पूरे जीवन में कभी गलत आदमी का सेलेक्शन नहीं किया। कब, किसको, कहाँ लगाना है, इस बात के लिए हम माननीय नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में करेक्ट सेलेक्शन करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इतिहास लिखा है। ऐसे नवरत्न! वाह रे अमित शाह जी।

मान्यवर, लोग कहते हैं कि यह वह खोपड़ी है, जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है। जितने भी चैलेंजिंग इश्यूज़ थे, उन सारे इश्यूज़ पर यदि किसी ने ताकत के साथ परिणाम दिया है, तो वे अमित शाह जी हैं । ..(**समय की घंटी**)..

श्री उपसभापतिः कृपया, खत्म कीजिए।

श्री कैलाश सोनीः सर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री उपसभापतिः दो मिनट नहीं, जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि बोलने वाले बाकी लोग भी हैं, अभी बहुत वक्ता बचे हैं। प्लीज़, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री कैलाश सोनीः आपके वित्त मंत्रालय ने भी समय पर निर्णय लिए, समय पर कानून - जो लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है, वह कानून है, कानून के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता है, इसीलिए हम mother of democracy माने जाते हैं। समय पर निर्णय लेने के कारण आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी लोगों के जेहन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में स्थापित हैं। ..(**समय की घंटी**)..

श्री उपसभापतिः कैलाश सोनी जी, कृपया समाप्त कीजिए, थैंक यू।

श्री कैलाश सोनीः मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता से और सारे लोगों से सर्वसम्मति से इन तीनों कानूनों को पारित करने की प्रार्थना करता हूं। उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री घनश्याम तिवाड़ी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए तीन मिनट दिए हैं, इसलिए मैं तीन मिनट में ही बात करूंगा।

श्री उपसभापतिः हाँ, आप में यह क्षमता है। जितना समय है, मैं आपको वही बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ीः मैं अपना भाषण आरंभ कर देता हूं।

मान्यवर, ये जो कानून आए हैं, ये न्याय शास्त्र के लिए आए हैं। भारत में न्याय करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। मनु स्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य स्मृति तक बावन संहिताएं लिखी गई हैं, जिनमें न्याय का वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है - *स्वराष्ट्रः न्याय वृतशादय, बृशय दंडश्च शत्रुशु।* स्वदेश के लिए अपने शासकों को न्याय करना चाहिए और शत्रु के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। उसी न्यायिक सूक्ति के आधार पर यह काम किया गया है और इसमें जो प्रमुख काम हुआ है, वह यह हुआ है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी एक युगदृष्टा, एक महामतिमान व्यक्ति के रूप में देश के सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल इन तीन कानूनों का प्रयोग किया, बल्कि सारे कानूनों को बदला है। आप और हम सभी यह जानते हैं कि अगर साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल का प्रयोग प्रारंभ नहीं करेंगे, तो साक्ष्य अधूरा रह जाएगा, न्याय व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आईपीसी का नाम - भारतीय न्याय संहिता में उन्होंने जिस प्रकार से इस बात का प्रयोग किया है कि नाम बदलकर छद्म रूप से शादी करना, लव करना, लव जिहाद करना - इन सभी बातों को यदि आज इस न्याय संहिता में नहीं लाते, तो आज के समय का कानून पूरा नहीं हो सकता था। उसी प्रकार से अगर सीआरपीसी में यह प्रावधान नहीं करते, सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान नहीं करते कि इतने दिनों में फैसला करना पड़ेगा, इतने दिनों में चालान करना पड़ेगा.. अगर यह फैसला नहीं करते कि हम इस प्रकार का केस भी चला सकते हैं, जिसमें अभियुक्त हाजिर नहीं हो, तो उसे दंड दिया जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, तो आज की परिस्थितियों में न्याय नहीं हो सकता है, इसलिए ये तीनों कानून आज की परिस्थितियों को देखकर लाए गए हैं। उपसभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहूँगा कि इन्हें लाने वाले कौन हैं – ऐसे सभी कानूनों को लाने वाले अमित शाह जी हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं – ‘AMIT’, मतलब अमिट। कई लोग मोदी जी को अंग्रेज़ी में ‘मोडी’ बोलते हैं और अमित को 'अमिट' बोलते हैं। अमिट का मतलब है – जो मिटेगा नहीं और शाह का मतलब है – स्याही, तो ऐसी स्याही से लिख दिए गए हैं, जो अमिट है, मिटने वाली नहीं है। तो अमित शाह और नरेन्द्र मोदी जी ने मिलकर युगदृष्टा का काम किया है और इस प्रकार की एक छाप छोड़ी है कि वे आगे आने वाले भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाएंगे, जिसमें न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। आपने तीन मिनट का समय दिया, इसलिए मैंने तीन बातें बता दीं, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तीन मिनट में अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखी। सुश्री कविता पाटीदार।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, यह निर्णय, जो भारत की न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है, आपने मुझे उसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायिक कानून लाने के लिए हमारी सरकार के इस दूरदर्शी कदम की सराहना करती हूँ। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने 15 अगस्त को देश में पाँच प्रण लिए थे, उनमें से एक प्रण था - गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस प्रण की अनुपालना करने का काम करेंगे, साथ ही अटल जी की उन पंक्तियों को भी चरितार्थ करेंगे, जिनमें उन्होंने कहा था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यक्ति जहाँ खड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। आज तक इस देश का कानून अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों के धरातल पर खड़ा था। उसे पूरी तरह से बदलकर इस भारत की आत्मा के अनुरूप न्याय भाव के धरातल पर लाने के लिए मैं माननीय अमित शाह और मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। गृह विभाग ने चार सालों तक इस पर गहन विचार-विमर्श किया, चर्चा की और फिर डेढ़ सौ साल पुराने अंग्रेज़ी शासन द्वारा बनाए गए कानून, जिसका उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि दंड देना था, उसे बदलकर आज तीन नए कानून लाए गए हैं, जिनका उद्देश्य न्याय देना है, दंड देना नहीं है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा का मूल प्रगटीकरण हैं, जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महोदय, इस बिल के तहत कई संशोधन लाए जा रहे हैं और कई नए अपराधों को मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ, वह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दिया गया महत्व है। हम जानते हैं कि अभी जो कानून हैं, उनमें महिलाओं और मानव वध के अपराधों को बहुत निचली श्रेणी में रखा गया था। अगर उसके पहले किसी को न्याय देना है, तो सरकारी खजानों को लूटने वालों की सजा को रखा गया था, जो ब्रिटिश ताज है, उसका अपमान करने की सजा को रखा गया था, रेल की पटरी को उखाड़ने वाली सजा को रखा था। अब इसे पूर्णतः बदलकर महिला और बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। महिला होने के नाते, मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ।

महोदय, इसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय हैं। हम जानते हैं कि कितनी ही बेटियों के फेस पर तेजाब डालकर अपराधी उनके पूरे जीवन को नष्ट करने का काम कर दिया करते थे। आज उन बेटियों को न्याय दिलाने का काम माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने किया है। मैं पुनः उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही, मैं एक महत्वपूर्ण कदम पर भी प्रकाश डालना चाहूँगी कि यौन हिंसा के मामले में अब पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अब कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि बयान को बदला नहीं जा सके। दूर-दराज में किसी बहन के साथ गलत व्यवहार होता था, तो उसका बयान तो लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि बलात्कारी कौन है, वैसे ही उसके बयान को बदलने का भी काम कर दिया जाता था। ...(**समय की घंटी**)... अब उसका बयान ऑनलाइन दर्ज होने के कारण बदला नहीं जा सकता है। महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी।

श्री उपसभापतिः मैडम, प्लीज़, अब कन्क्लूड करें।

सुश्री कविता पाटीदारः वे बेटियाँ जो अपने जीवन के खुशहाल पड़ाव पर कदम रखती थीं, उनके जीवन को खत्म करके, उनकी अस्मिता को तार-तार करके उनके जीवन को बरबाद करने का काम किया जाता था, ऐसी 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ गैंगरेप करने पर अब सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। उपसभापति महोदय, मैं बस एक शब्द कहकर अपनी बात को कन्क्लूड करना चाहूंगी।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

सुश्री कविता पाटीदारः अगर पहली बार आतंकवाद की कोई व्याख्या की है, तो मोदी जी की सरकार ने की है। हमने आतंकवाद की बहुत सी कहानियां इस देश में देखी थीं। युद्ध भूमि में गीता की गुंजार जरूरी है... *

श्री उपसभापतिः डा. अशोक बाजपेयी जी, आपके पास तीन मिनट का समय है। माननीय कविता जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। कृपया समय का पालन करें।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, आज माननीय गृह मंत्री जी ऐसे तीन नए कानून लेकर आए हैं, जिन तीनों कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। मान्यवर, ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इसलिए बनाए थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को यहां लंबे समय तक स्थापित रखना था। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन कानूनों को बनाने का काम किया था। जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो लोग देश की गद्दी पर बैठे, जो लोग सत्ता में आए, उनका दायित्व बनता था कि अंग्रेजों के उन काले कानूनों को तत्काल बदलते, लेकिन 75 वर्ष तक यह देश माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का इंतजार करता रहा और आज वह दिन आया है कि वे तीनों काले कानून परिवर्तित होने जा रहे हैं। स्वतंत्र देश में अपनी स्वतंत्र नागरिक संहिता होगी, दंड संहिता होगी और न्याय के लिए एक नया रास्ता बनने का काम आज से हो रहा है।

मान्यवर, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, न्याय की यह मंशा होती है, justice delayed is justice denied, न्याय तत्काल मिले, लेकिन इस पुरानी कानून व्यवस्था में न्याय की इतनी लंबी प्रक्रिया थी कि वर्षों तक केस लंबित रहते थे और न्याय नहीं मिल पाता था। इन नए कानूनों में समय सीमा निर्धारित की गई है। अब तीन साल के अंतर्गत न्याय को अंतिम रूप से देने का काम करना होगा। इसके लिए सभी लोगों के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट भी बना है। मान्यवर, हमारी बहनों के लिए मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए। उसके बाद अब इन कानूनों के माध्यम से हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जिस

---

* Not recorded

मजबूती के साथ इन कानूनों में व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि उसके लिए सरकार का जितना अभिनंदन किया जाए, वह कम है।

मान्यवर, राजद्रोह को समाप्त किया गया है। राजद्रोह तो अंग्रेजों ने रखा था - अगर उनके राज्य के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कोई द्रोह करता था, तो इसके लिए उन्होंने राजद्रोह रखा था। आज देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देशद्रोह को महत्व दिया है कि जो देशद्रोही होंगे, उनके विरुद्ध कानून कठोरता के साथ निपटने का काम करेगा। किसी भी देशद्रोही को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के लिए, जो देश की सीमाओं को असुरक्षित करने का काम करते हैं, उन आतंकियों के विरुद्ध भी कड़े कानून बनाने का प्रावधान इन कानूनों के माध्यम से किया गया है।

मान्यवर, ज़ीरो एफआईआर की बात की गई है कि कहीं भी बैठा व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है और उस एफआईआर के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्यता होगी। हमारा जो एविडेंस एक्ट था, अब उसको संशोधित करके, आज तमाम डिजिटलाइज़ेशन हो गया है। मान्यवर, कम्प्यूटर युग आ गया है। आज डिजिटल साक्ष्य की जरूरत है। कम्प्यूटर, लैपटॉप जैसे सारे संसाधनों संबंधी व्यवस्था हमारे साक्ष्य अधिनियम में होगी, जिससे कि हम सही ढंग से उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाने का काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस कानून के माध्यम से ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री उपसभापतिः माननीय बाजपेयी जी, तीन मिनट हो गए हैं। अब आप कन्क्लूड करें।

डा. अशोक बाजपेयीः मान्यवर, जो आरोपित व्यक्ति होगा, उसके संबंध में यह बाध्यकर होगा कि 30 दिनों के भीतर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इसी तरह से सिविल सर्वेन्ट के संबंध में भी 120 दिन के अंतर्गत, अगर सरकार उनके विरुद्ध सहमति नहीं देती है ...(**समय की घंटी**)... तो उसे स्वतः सहमति मान लिया जाएगा।

श्री उपसभापतिः प्लीज़, कन्क्लूड करें।

डा. अशोक बाजपेयीः घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की व्यवस्था होगी। मोबाइल फोन या महिलाओं के चेन स्नैचिंग इत्यादि के मामलों में कठोर प्रावधान किए गए हैं। मान्यवर, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय अशोक बाजपेयी जी। डा. दिनेश शर्मा जी, आपके पास तीन मिनट का समय है।

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आह्लादित हूं, प्रसन्न हूं और मुझे तमाम संदर्भ याद आते हैं। मुझे एक पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है। असरानी हास्य कलाकार हैं और जोर से आकर बोलते हैं कि मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं। आज मुझे लगता है कि अगर कोई यह कहे

कि अंग्रेजों के जमाने का यह नियम था और उस नियम को वर्तमान मोदी जी के जमाने के लोगों ने इस माननीय उच्च सदन में आज समाप्त कर दिया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75 वर्ष पहले हम स्वाधीन हुए, लेकिन स्वाधीन होने के बाद हमने स्व तंत्र खड़ा नहीं किया। आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद यह प्रक्रिया माननीय मोदी जी के उस कथन के बाद शुरू हुई, जो उन्होंने 2019 में कहा कि जो पुराने, गुलामी के समय के नियम हैं, कानून हैं, हम उनको समाप्त करेंगे। डेढ़ हजार कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरे तरीके से परीक्षण करने के उपरांत प्रारंभ हुई और आज उसका नतीजा यह है कि हम अपना स्व तंत्र खड़ा कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम स्व तंत्र खड़ा नहीं कर पाए थे। आज हम वह स्वतंत्र खड़ा करने का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर लेकर आए हैं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक लंबे समय तक राज किया और इसके लिए उन्होंने कुछ फाइंडिंग्ज़ रखी थीं। जैसे छोटे-छोटे उद्योगों की जगह पर बड़े उद्योग लगा दो, ताकि जो आत्मनिर्भर है, वह मालिक से गुलाम बन जाए। शिक्षा नीति ऐसी कर दो कि वह शरीर से तो काला रहे, लेकिन मानसिकता से अंग्रेज रहे। तीसरी चीज उन्होंने यह की कि कानून ऐसे हों, जो अंग्रेजों के हित वंदन के लिए प्रयोग में आएँ। इस प्रकार की नीति को हम आजादी के बाद आज तक पूरा नहीं कर पाए थे। आज इस क्षण में हम इन सब चीजों को पूरा करने में सफल बने हैं।

मान्यवर, मैं यह कहूँगा कि आज सजा के स्थान पर जस्टिस, यानी न्याय को केन्द्र में रख कर ये तीनों बिल्स तैयार किए गए हैं। 150 साल से ज्यादा के बाद ये कानून आज एक नया जन्म प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि अभी 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी का जन्मदिवस 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने जा रहे हैं। जब हम 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' की बात करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ध्येय होता है कि हम जनता को सुशासन दे पाएँ। मैं समझता हूँ कि अटल जी को नमन करने का यह दिन आज उनके जन्मदिवस से पूर्व यहाँ पर है कि हम उनको सुशासन देने के लिए इन कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने जैसा कहा, कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना है। ...(**समय की घंटी**)...

आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन संहिताओं की मंशा पवित्र है, आत्मा भारतीय है। मुझे विश्वास है कि ये नई संहिताएँ देश में क्रिमिनल जस्टिस को अधिक प्रासंगिक, अधिक सार्थक, अधिक उपयोगी बनाते हुए नागरिकों तक न्याय को अधिक सुलभ, अधिक सुगम बनाएँगी। मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद, डा. दिनेश शर्मा जी। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इन तीनों विधेयकों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना है। विधेयकों के माध्यम से आपराधिक कानून में सुधार के साथ

लोगों को सजा के बजाय न्याय दिलाने की भी उम्मीद जागेगी। सरकार द्वारा आवश्यक कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन कर आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता तथा सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया जा रहा है। इन विधेयकों के माध्यम से मॉब लींचिंग, भड़काऊ भाषण, हिंसा आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर कठोर कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रावधानों के लागू होने के पश्चात् सभी मुकदमों की जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

महोदय, मुख्य रूप से इन विधेयकों का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। प्रस्तावित तीनों विधेयकों के माध्यम से सरकार महिलाओं, बच्चों सहित राष्ट्र के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अब भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध करने के लिए उकसाने पर उसको अपराध में बराबर का भागीदार माना जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों के विरुद्ध और कठोर कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह सरकार का एक स्वागतयोग्य कदम है। संगठित रूप से अपराध करने वालों के डाटा को डिजिटल करने की दिशा में विधेयक में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। प्रत्येक थाना एवं जिला स्तर पर पुलिस द्वारा अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा देश की मातृ शक्ति को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसाएँ रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस विधेयक में यौन हिंसा से संबंधित मामलों में पीड़िता के बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त, विधेयक में रेप के दोषियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इन प्रावधानों के लिए देश की सम्पूर्ण नारी शक्ति की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी को नमन करती हूँ।

महोदय, धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण देश के करोड़ों लोग न्याय से आज भी वंचित हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से मॉब लिंचिंग तथा धीमी न्यायिक प्रक्रिया के परिणामों को सदन के सामने रखना चाहती हूँ।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, वर्ष 2002 में एक ट्रेन में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे रामभक्तों पर हजारों लोगों की भीड़ के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उसमें 27 महिलाओं, 22 पुरुषों और 10 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात् 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात् अनेकों बेकसूर लोगों को गुजरात दंगों का गुनहगार बना दिया जाता है। महोदय, 20 वर्षों की लम्बी कानूनी लड़ाई के पश्चात् वर्ष 2022 में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको न्याय दिया जाता है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, जिन प्रमुख लोगों ने इन 20 वर्षों में लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनेकों आरोपों-प्रत्यारोपों को झेला है, वे श्रीराम के आशीर्वाद से देश के प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री बन कर आज देश में राम मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं तथा इन विधेयकों के

माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को कठिन न्यायिक प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने का काम भी कर रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, मैं आपके समक्ष एक और विषय रखना चाहती हूँ। हमारे सदन के सभापति, जो कि हमारे अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, ...(**समय की घंटी**)... उनके विरुद्ध संसद के कुछ सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का कृत्य किया गया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है, तो इनको पीड़ा हो रही है, एक पिछड़े वर्ग तथा गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधान मंत्री बना है, तो इनको स्वीकार्यता नहीं हो रही है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन सदन इस बात का साक्षी बनेगा कि एक किसान के बेटे का अपमान करने वाले यदि इसी प्रकार की हरकतें करते रहे, तो एक समय ऐसा भी आयेगा कि जो प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति गांव का प्रधान बनने लायक भी नहीं बचेगा। मैं इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, इन विधेयकों का समर्थन करती हूँ, धन्यवाद।

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Hon. Chairman, Sir, I stand in support of the Bill and, at the same time, express my deep gratitude to hon. Prime Minister, Modiji, for bringing this vision of New India and transforming the country and taking confident strides towards Amrit Kaal. I also thank the hon. Union Home Minister, Amit Shahji, for bringing the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023; Bharatiya Sakshya Bill, 2023; and the Bharatiya Nagrik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 Bill. At this point, on behalf of the people of the State of Nagaland and the tribal areas of North-East meaning territories, which immediately before the 21st day of January, 1972, were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th Schedule of the Constitution, other than those within the local limits of the Municipality of Shillong, I thank the hon. Home Minister for the exception granted.

Mr. Chairman, Sir, breaking away from the colonial past forms an important part of the process of decolonization. The entire idea of criminal laws like the IPC was to punish and subjugate the Indian populace and not to protect them. These laws were made to serve the British colonial interests and thus, it is only right that we put these obscure laws behind us. In 2019, the Prime Minister, Modiji, had stated that all laws made during the British colonial era should be made in accordance with today's time and in the interest of Indian society. There is no doubt that these three laws made with Indian thought process will bring a huge and much needed change in our criminal justice system. The consolidation and simplification of certain provisions makes the Bill more concise and proposed changes in terms of increased punishments, particularly, for certain serious offences can be viewed to act as a deterrent. As stated by the hon. Union Home Minister, the erstwhile laws were made by forcing rulers to help them maintain their supremacy. The new laws are framed by

keeping in mind the core values of our Constitution, individual freedom, human rights and equal treatment for all. With these words, I support the Bill. Thank you.

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय दंड संहिता, 1860 में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के लिए पेश किए गए इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात सदन में रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

महोदय, भारत की दंड न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की एक ऐसी देन है, जिसने पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से देश में अव्यवस्था और लाचारी के एक दंश का जाल बुना था, जिसमें न्याय पाने में आम पीड़ित आदमी का भला नहीं, बल्कि उनका शोषण हुआ। इस सदन में आने से पहले मैं शोषित-पीड़ित गरीब समुदाय की महिलाओं के बीच काम करती थी। पिछले लगभग चार दशकों में मैंने देखा और महसूस किया है कि उनमें न्यायालय, जज, वकील आदि प्रणालियों के प्रति एक अजीब सा डर, अविश्वास, संदेह और असहजता रहती थी और महिलाएँ आए दिन न्याय के लिए भटकती थीं। कभी उनके पतियों को जेल में बन्द कर दिया जाता था, तो कभी उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। आम तौर पर उन्हें उनके हिस्से का न्याय नहीं मिल पाता था। तब वे दुखी होकर कहती थीं, "जिंदगी गुजर गई, पर न्याय न मिला," क्योंकि उस कानून के साथ एक मिली-जुली सरकार काम कर रही थी। अंग्रेजों के ये कानून किसी काले पानी की सजा से कम नहीं थे। विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से यही उजागर होता है कि भारत की जेलों में बन्द हर पाँच में से तीन व्यक्ति दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से थे। यह उस राजनैतिक दल का एक कलंक है, जिसने 70 सालों के एक बड़े कालखंड तक देश में शासन किया है। उन्हें गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों की अब याद आ रही है। उनकी चार पीढ़ियों ने राजनैतिक रोटियां सेंकी और आज भी कुछ हया-शर्म न रही।

अब भारत की दीन-दशा को सुधारने और समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार इन वर्गों के लिए कदम उठा रही है और उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला रही है। अब ये विपक्षी दल के नेता इस सदन का अपमान करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। खैर, आज आत्मविश्वास और एक नई उम्मीद एवं एक नई रोशनी के साथ एक नई इबारत लिखी जा रही है। इस संशोधन प्रस्ताव विधेयक के पारित होने के बाद उन सभी दलित, वंचित आदिवासी भाई-बहनों में जीवन की एक नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि अगर मोदी है तो हर मुश्किल आपसे दूर है और दुश्मनों के हौसले चकनाचूर हैं।

महोदय, जिन कानूनों के कारण आज तक भारत में एक बड़े तबके को न्याय के इंतजार में हाशिये पर रहना पड़ा, उन्हें सम्मान देते हुए आज मोदी सरकार तीन नये कानून लेकर आई है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं पहले के वक्ताओं की बातों को नहीं दोहराऊँगी, बल्कि मैं उन पीड़ित, दलित और वंचित वर्गों को यह भरोसा दिलाना चाहूँगी कि अब मोदी सरकार आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको नये कानून के माध्यम से न्याय मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Thank You.

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः महोदय, मैं अब अंत में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। इन तीन कानूनों के कारण अब उस गरीब को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वह पैसे इकट्ठा करेगा और कोर्ट जाएगा या घर का खाना-खर्चा उठाएगा। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बिना परिसर में गए उसे न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार उसके साथ है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, it was a very effective contribution. Now, Dr. Anil Agrawal.

डा. अनिल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आज मैं 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' जो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, अगर देखा जाए तो भारत की वास्तविक स्थिति यह थी कि वर्तमान तक अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून चल रहा था। आज माननीय गृह मंत्री जी जो कानून लाए हैं, निश्चित रूप से यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है और मैं तो यहां तक समझता हूं कि वास्तविक आज़ादी माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी हर भारतीय को दिला रहे हैं।

महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है कि पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता है। अंग्रेज़ों ने जो अपने लिए और भारतीयों के लिए कानून बनाए थे, वे अपने राज को कायम रखने के लिए बनाए थे, उसमें दंड की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार न्यायप्रिय सरकार है, देश की गरीब जनता को न्याय दिलाना चाहती है, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के नए कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो, सबको जल्दी न्याय मिले। महोदय, पिक्चर्स में एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख मिलती है। मुझे लगता है कि वह डायलॉग भी अब abolish हो जाएगा और हमारे फिल्म निर्माताओं को दोबारा एक डायलॉग लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नई न्याय व्यवस्था आई है। महोदय, इसमें बहुत सारे कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे निश्चित रूप से न्याय जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा और सुगम मिलेगा। न्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर न्याय समय से मिले तो उसका महत्व होता है और अगर न्याय देरी से मिले तो उसका महत्व नहीं होता। जो पिछला कानून था, उसमें वकील लोग इस प्रकार से लोगों को मकड़जाल में फंसाते थे कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था, लेकिन इसमें लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए न्याय बहुत सुगम होगा। इसमें adjournment बहुत कम मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में नए कानून में चार्जशीट के लिए जो प्रोविज़ंस किए गए हैं, वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बहुत सारे मामलों में यह देखने में आता था कि सालों-साल चार्जशीट दाखिल नहीं होती थी, अब 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी और अगर बहुत दिक्कत है, तो कोर्ट की परमिशन से 90 दिन और मिलेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं नए बिल में लाई गई हैं, जिनका निश्चित रूप से हर भारतीय स्वागत करेगा। मुझे लगता है कि सभी लोग इस बिल का सर्वसम्मति से स्वागत करेंगे, धन्यवाद, जय-हिन्द।

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, it is, indeed, a privilege and honour for me to support these historical Bills introduced by hon. Union Minister, Shri Amit Shah, under the dynamic leadership of Shri Modiji. These three effective Bills would not only bring peace, law and order in the country but also help towards development and undertaking welfare schemes for the poor.

Sir, any law will become obsolete after 30-40 years. The scale of crime has changed now, but there is no change in the methodology to deal with such crimes. Sir, two to three important aspects of these laws are: Protecting women and child. It is the first priority of the BJP Government, under the leadership of Modiji, which always stands for women and their rights, be it triple talaq or other rights. Secondly, live-in relationship has become a threat to harmonious society in the name of liberty, causing harm to the social fabric. Another issue is love jihad. Innocent Hindu girls are trapped in the name of love jihad. Now, these new Bills deal effectively, with iron-hand, those who indulge in such activities.

Sir, the BJP strongly believes in 'nation first, party second and self last'. And, security of the nation is our top priority. There is zero tolerance on terrorism. Unfortunately, the place from which I come — Hyderabad, Telangana — there is a party called AIMIM...

MR. CHAIRMAN: Just a minute, please. Hon. Members, now, it is 6.00 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6.00 p.m. to dispose of the listed Business.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House agrees. The sitting is extended beyond 6.00 p.m. to dispose of the listed Business. The hon. Member may continue.

6.00 P.M.

डा. के. लक्ष्मण: हैदराबाद शहर के अंदर मजलिस पार्टी मजहब के नाम पर राजनीति करती है। ये खुलेआम जेहादी उग्रवादी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं और ऐसे बयान देते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और हो सके, तो आर्थिक रूप में भी उनकी सहायता करेंगे। उनके भाई, दूसरे विधायक के नाते यह बयान देते हैं कि अगर वे पन्द्रह मिनट के लिए पुलिस को हटा दें, तो हम क्या हैं, वह बताएंगे। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनको सजा भी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि zero tolerance on terrorism की नीति के तहत ऐसे एक्ट्स आने से अब

इनका ज़ोर नहीं चलेगा, because we strongly believe in 'ballot', not in 'bullet', whether it is *jehad* or naxalism, because Bharat is supposed to be the mother of democracy.

There is a saying that justice delayed is justice denied. Now, all the cases will be dealt with in a time-bound manner — whether it is trial or investigation or filing chargesheet in the court or framing of charges within 120 days — judgement should be given within 30 days after the commencement of hearing.

Earlier, the IAS officers and IPS officers needed permission from the concerned State Government to proceed for further trial. Now, this Bill says that if the concerned State Government does not give clearance within 120 days, it would be deemed to have been given.

So far as the rape and murder cases are concerned, earlier, the Congress did not feel that that was a priority. Now, it is Modi*ji* and Amit Shah's Government. They have brought in the priority and are trying to fully protect women and common man.

So, I feel proud in supporting this Bill. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Shri Naresh Bansal — hon. Member not present. Next, Ms. Indu Bala Goswami.

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): सभापति महोदय, आज आपने मुझे देशहित में सुशोधित करने के लिए लाए गए अति महत्वपूर्ण विधेयकों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं सदन का ध्यान भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कहे गए वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि जो परिवर्तन लाता है, वह जनता के दिलों पर राज करता है, जो परिवर्तन के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है, वह संसार में जीवित रहता है और जो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ भी अपने आपको परिवर्तित नहीं करता है, उसका कभी विकास नहीं होता है, वह समाप्त हो जाता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने स्व का राज करने के लिए शासन किया, जनता के हितों के लिए नहीं किया। दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नौ वर्षों का कार्यकाल देश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ रहा, देश के हर वर्ग के विकास का रहा, देश के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को देने का रहा। देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को नौ वर्षों के कार्यकाल में जो सुविधाएं दी गईं, उसने उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। चाहे सामाजिक व आर्थिक ढांचा हो, संस्थागत ढांचा हो, व्यावसायिक ढांचा हो या व्यवस्थागत ढांचा हो, नौ वर्ष के कार्यकाल में देश के विकास को सामने रखते हुए मोदी सरकार ने इनको विकसित करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो देश के विकास की नई गाथा न लिखता हो, देश के विकास की नई इबारत न लिखता हो। लंबे अरसे से ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, लेकिन नहीं हुए। आज जिन तीन कानूनों में संशोधन हो रहा है, वह भी देशहित व देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इन तीन महत्वपूर्ण बिलों को सदन में लाने के लिए धन्यवाद देती हूं। वैसे भी गृह मंत्री जी के बारे में

भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में यह बात जानी जाती है कि वे कहते ही नहीं हैं, उसको करते भी हैं और जो नहीं कहते हैं, उसे भी करते हैं। इसलिए इन बिलों के माध्यम से भारतीय आत्मा में समाहित करने वाले कानूनों को लाया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे देश में अपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लायेंगे।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से 5 प्रण लिए थे, उनमें एक प्रण था कि गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना। यहां हमें स्मरण करना होगा कि अंग्रेज़ों की न्यायिक व्यवस्था में जो कानून बनाये गये थे, उनमें आम नागरिकों को न्याय देना नहीं था, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, अपना राजपाट बनाये रखने के लिए आम नागरिकों को दंड देना था, ताकि कोई भी उनके द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठा सके। आज इन बिलों के माध्यम से कानूनों में संशोधन करके इन्हें आम नागरिकों के लिए न्याय संगत, न्याय दिलाने की दृष्टि से लाया गया है। ...(**समय की घंटी**) ...

महोदय, कितनी बड़ी विडम्बना है कि बलात्कार पीड़िता को मानसिक और शारीरिक कष्ट के साथ-साथ सामाजिक कष्ट भी सहना पड़ता था। जब वे न्याय के लिए अदालत में आती थीं, तो उनको लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज जब हम नारी के नेतृत्व की बात करते हैं, नारी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां बलात्कार पीड़िता को न्याय के लिए इस प्रकार से पीड़ित होना पड़े, यह देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

श्री सभापतिः श्री आदित्य प्रसाद।

सुश्री इंदु बाला गोस्वामीः मैं आज यह कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अत्यंत संवेदना से नारी के लिए कानूनों में संशोधन करने का जो प्रस्ताव दिया है, उससे निश्चित रूप से अपराधों पर रोक लगेगी और नारी की अस्मिता की रक्षा होगी।

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड)**:** आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन बिलों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव होने जा रहा है, इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज मैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। महोदय, पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाये गये थे, उनमें दंड देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रयास से कानूनों में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाये गये हैं, उनमें जनता को न्याय देने का प्रयास किया गया है।

महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया गया है। न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, जिसमें कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सांसदों और विधायकों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिलों से संबंधित विचार-विमर्श में 158 बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने हिस्सा लिया है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी हर विषय को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का काम करते हैं, तो देश की जनता ऐसा महसूस करती है कि देश को पहली बार ऐसा अवसर मिला है, जब देश में इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी वे समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं। वे हर ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जिससे हर आम आदमी को सुविधा मिल सके, इसलिए देश की जनता उनको दिल से दुआ और आशीर्वाद देती है।

सभापति महोदय, मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या से संबंधित खंड 103(2) के मामलों में केवल सात वर्ष की सजा का प्रावधान किया था, अब इस मामले में आजीवन सजा अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर काफी तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चला करती हैं और आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है, ड्राइवर को थाने से ही बेल मिल जाती है और वहां से हंसता हुआ ड्राइवर निकल कर चला जाता है, ...(**समय की घंटी**) ...लेकिन पीड़ित परिवार रोता-बिलखता रहता है। इस कानून में यह व्यवस्था है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के लिए सात वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे-छोटे अपराध करने वाले अपराधियों को सामुदायिक सेवा के काम में लगाने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है, जैसे माली का काम करना, स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाई कराना आदि। इसमें इस प्रकार से कानून बनाने का प्रयास किया गया है, इस प्रकार का कानून लाने का काम किया गया है। इसके लिए हम सभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि देश को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे, ताकि देश का अंतिम व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता रहे और उसकी आवश्यकतानुसार काम होते रहें। महोदय, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Chairman, Sir, there is no denying the fact, I think, the entire House has agreed to this that this is one of the most historic of Bills that has come in the criminal justice system in the country which replaces some of the laws which were 200 years old.

Sir, there was an interesting article which I read that during the time of the British Rule in India, the same Indian National Congress opposed many of these Bills with the entire criminal law system, that is, the IPC and the CrPC but after assuming power, I do not know why they persisted with the same Bills for so many years. Now, this is something which defies logic which basically means that the same mindset which was there in an era prior to Independence continued even after Independence. Now, this is probably something which this particular Bill or these three Bills will set to change that particular mindset itself. The context has become different. The context of an Independent India was not built into the previous legislations which this particular legislation has come to change.

Sir, I would like to quote Martin Luther King Junior who said that 'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.' Now this is one particular line which is very important and is reflected squarely in these three Bills that 'injustice to women, injustice to poor people, injustice to disadvantaged in the society' has been taken care of in these three Bills; and access to justice, the affordability of justice system has been made more simplified for them.

Sir, I would also like to quote one line from the 1972 Judgement, Jenison *vs. Baker*, where the pronouncement is 'Law should not sit limply, while those who defy it go free *and* those *who* seek its protection lose hope.' Now, again this is one particular theme which has been built into these three laws where there is a protection of these people who are accessing the legal system, hoping to get justice from the system. It is not a penal law but it is a law to give justice to the people.

Sir, I would not like to elaborate on the positives of the law. ...(*Time-bell rings.*)... I will just mention in one or two minutes that there is zero FIR, safeguard from arrest, greater police accountability, speedy justice, curbs on the police power, release of under-trials in jails, hit-and-run will get ten years in jail term, summary trials for speedy justice, no more frequent adjournments, witness protection. In the case of adjournments, Sir, the Supreme Court has already given a judgement. Justice Adarsh Kumar Goel led Bench gave a judgement relating to time-bound settlement of these cases coming before them. ...(*Time-bell rings*.)...

Sir, just half-a-minute. It also goes that the community service as a form of punishment which was already being practised by some of the courts has now actually come into the legal jurisprudence of this country, and, this is, I think, a milestone because this would actually change many things, including its impact on the growing number of under-trials in the country. ...(*Time-bell rings*.)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Thank you.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, finally, I would say that this law will obviously evolve. From 1850s, we have now come to 2023. It will obviously evolve. There will be amendments, but what has happened is that this 'T-0', the 'Time-Zero' has changed after 200 years to something in which it will grow further, and this will actually change the criminal jurisprudence in the country. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank God. You are not a lawyer. You continued with your submissions.

You would recollect our Chief Justice, D.Y. Chandrachud, had expressed his concern and anguish and even indicated '*Tareekh pe tareekh*'. So, as a matter of fact, this is a reflection of what is happening. Shrimati Darshana Singh.

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और संवेदनशीनता के परिणामस्वरूप, आज लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में बदलाव करके, भारत की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों के समय के कानून वर्तमान भारतीय समाज के लिए बिल्कुल व्यावहारिक नहीं हैं और उन्होंने उनमें बदलाव भी नहीं किए, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश की जनता की पीड़ा को समझा। माननीय प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और यह इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। महोदय, ये पुराने कानून औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, जिनका स्वरूप दंडात्मक था, लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य संविधान के द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और लोगों को न्याय दिलाना है। नए कानून के अंतर्गत ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें पहले सजा का प्रावधान नहीं था, जैसे भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है, ताकि विदेश में बैठे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। नए कानून में धारा 93 के तहत ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो किसी नाबालिग बच्चे को किसी भी गलत कार्य में संलग्न करता है।

महोदय, मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए, खंड 113 में दंड का प्रावधान किया है, यानी मूल कानून में आतंकवाद का जिक्र किया है, जो अभी तक नहीं था। मोदी सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। इसे खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ, इन संवैधानिक, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी मोदी की गारंटी है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, डिजिटल भारत बनाने में मोदी सरकार का एक बड़ा योगदान रहा है। मोदी सरकार ने नए साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम को स्वीकार्यता प्रदान की है और सात साल से ज्यादा सजा वाले कानूनों में फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य किया है। मोदी सरकार ने इस कानून के तहत, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी के प्रयासों से लोक सभा से पास हुए, आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिलों के प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इस बिल का समर्थन करती हूँ। इसके साथ-साथ, जो कानून 150 वर्षों की दासता के प्रतीक हैं, उन्हें खत्म करने के लिए यह देश माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का ऋणी रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Mahesh Jethmalani. Hon. Members, I am getting a little nostalgic. Shri Ram Jethmalani was a part of this institution for more than three decades. I had the privilege and honour to be with him in Parliament. He dominated the legal firmament for over five decades. A global authority on criminal jurisprudence, if he had been around, we would have seen, he would have roared that it is unshackling from the colonial regime. We miss him today as never before. Shri Mahesh Jethmalani.

SHRI MAHESH JETHMALANI (Nominated): Sir, I thank you for those kind words. I thank you for the indulgence of granting me permission to speak on these very important and almost revolutionary Bills which have taken us away, as you rightly pointed out, from a very colonial mindset. Sir, these three Bills have many provisions. These are sweeping changes. I haven't even had time to look at all the changes, but the salient ones, I think, are worth bringing to the fore. The most substantial Act -- the old Cr.P.C. and the old Evidence Act are procedural Acts -- is the Bharatiya Nyaya Sanhita. In that, there are two principles, which we all hold dear in this House and which are also reflected here. One is the *Naari Shakti* and the other is *Rashtravaadi*. Both these principles have been given greater vigour. People talked about colonial mindset and colonial changes. The real colonial change is not in eradicating sections which dealt with the British Parliament, the British Gazette and so on and so forth. The colonial change is reflected in how 'sedition' has been reworded. The old Section 124A of the Indian Penal Code, if the hon. Chairman recalls as he must because you had as much experience at the Bar as anybody else, was a Section which punished for creating disaffection against the Government of the day, lawfully elected or lawfully in-charge. Of course, the British were never lawfully in-charge, but they claimed to be. That was the wording of the Section. Section 124A was enacted to save themselves from fiery speeches and strong articles in the media, as it then existed; it was to save the colonial regime itself. Today, Section 124A is still necessary because there is a 'break-India' mentality, both outside and within India. So, Section 124A is still required because people, by spoken and written words, try to undermine the country. I heartily welcome the wordings of the new Section which is, "...anybody who creates disaffection not against the Government of the day but against the Indian States." That is the *Rashtravaadi* aspect of this Bill. Every Indian nationalist should welcome it. Secondly, the Bill also looks at *Rashtriya Suraksha*. For the first time, we have general statute which defines terrorism and makes it punishable. We also have a Bill, which defines organised crimes and organised crime syndicates, which are indulged in continuous unlawful activity. These powerful gangs

-- many of these gangs are foreign influenced and foreign financed -- which undermine the State need to be curbed and eradicated, and this Bill seeks to do that as well. So, there is *Rashtravaadi* aspect and there is *Rashtriya Suraksha*. Thirdly, this is in continuance of *Naari Shakti* announced by the Prime Minister from the ramparts of the Red Fort on the Independence Day a couple of years ago. There is a very wholesome provision for women in this Bill. There is a separate Chapter on women. The Penal Code is an 1872 Act. So, for the first time since 1872 and for the first time in independent India, you have a special Chapter in the Penal Code which deals with offences against women and children. This is in continuation of the thrust words 'women empowerment or *Naari Shakti'*. Previously, the offences against women were scattered. They were to be found in different Chapters. They were not women-centric. So, under 'offences against human body', you found offences against rape. Offences against human body also include murder. Now, in recognition of women empowerment and in recognition of women security, a distinct chapter, that is, Chapter-IV has been introduced for women and children.

As regards women and children specially -- some hon. Members have adverted to it -- there is the offence of gang rape of a minor. This is a triple evil and it requires death sentence. Although I am known to have the death sentence in any case but the rarest of the rare cases, I welcome the death sentence where there is gang rape of a minor because it involves a triple evil. There is rape; there is a minor involved; and, there is a lustful horde which perpetrates that offence. So, I welcome this clause as well.

Just finally, since we are out of time, I will make just a passing remark on the other two Bills. The previous Indian Criminal Procedure Code will be now replaced by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. That is meant to bring up speedy justice. There are timelines for filing of charge-sheet. There will no more be *tarikh pe tarikh*, no adjournments and there will be progress of trial expeditiously. And, the judgments have to be delivered expeditiously. The Evidence Act, which will now be called, the Bharatiya Sakshya Bill, brings in technological changes in the sense that now electronic evidence and secondary electronic evidence will be introduced as evidence and recognised by the Act.

Finally, Sir, on a personal note, I have been in practice for 42 years now and although the old must give way to the new, there are some parts of it that we will miss. Section 420 is printed in our mind. It became part of Bollywood's dialogues. There was a movie by Raj Kapoor called '*Shree 420*', and sometimes, we were admonished by our parents by saying "चार सौ बीसी मत करो।" We will miss that. But,

this Bill must bring in changes for the new generation. It has those changes and I welcome this. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: On a day like this, we miss the contributions of the senior advocates - Shri P. Chidambaram, Shri Kapil Sibal, Dr. Abhishek Manu Singhvi and Shri Vivek Thakur. I am happy that you contributed and Shri S. Niranjan Reddy contributed amongst the senior advocates. It is our pious duty, constitutional ordainment that when we claim and have expertise in a particular domain and such historical epoch-making development is taking place here, we should contribute in that. They have not participated. From that perspective, it is a matter of deep concern for me as the Chairman of this House. I will continue working to secure wholesome decorum in the House and participation of every Member. Now, Shri Pabitra Margherita.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Hon. Chairman, Sir, I will, at the outset, address this House with an excerpt from the publication of an Englishman, who served the British Empire. I quote, "We must, at present, do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect." These infamous words had sealed the fate of millions of oppressed Indians rendering them dispossessed and deprived of their culture and native knowledge system at the behest of a maligned colonial design. The quote by Thomas Macaulay, in his Minute in 1835, has indeed been a vehicle of colonial interests that have, unfortunately, persisted in our country even after Independence.

The IPC, 1860, was one such instrument, a brainchild of Macaulay and his team and thereafter improvised by the successive agents of the Crown. But now, through these three Bills, our hon. Prime Minister and the hon. Home Minister have taken our country from penalisation to edification and from colonisation to Indianisation. That is why, I stand here to support the three Bills. I am sure that this will run the country's criminal justice system in a better way. This new Bill will give a pyramid kind of strength. These three legislations are going to inject the much-needed dynamism in our country's jurisprudence.

Sir, I will speak for a minute in my mother tongue and I thank you for the provision of interpretation of Assamese language also here.

*"Hon. Chairman Sir, the naming of these three Bills itself proves that mentally and intellectually, we are moving on the path of freedom. During this period of Azadi ka Amrit Kaal after 163 years of British rule, we still had some feeling of slavery in our conscious and unconscious mind. The Britishers implemented these laws only to penalize the people of colonized India but these Bills which have been brought now in this august House, under the leadership of Shri Narendra Modi's Government, aim to provide justice instead of penalizing the people. Many hon. Members have already mentioned about the different aspects of these Bills. Therefore, I would like to mention only one important point. These Bills have a provision of prosecuting a person who marries a woman by "deceitful means". This specific provision on "marrying through misrepresenting one's own identity" is being misinterpreted by some as an instance of interfaith marriage. I believe that because of this provision under this Bill, in my state of Assam, the number of cases of Love Jihad will come down. Another important subject I want to mention is mob lynching. In mob lynching, one can be punished with death penalty. My next point is about terrorism where a clear definition along with stringent punishment has been provided for. In addition to that, many of the Members also mentioned about women empowerment. As per the provision, an accused committing an act of rape with a below 12 years old minor will get capital punishment instead of life imprisonment. And I believe that this is our commitment towards Nari Shakti Vandana. Now, without going further into the technicalities of these Bills, I would like to make my last point which finds a mention in our CrPC. From FIR to Charge Sheet to delivering justice, everything will be completed within a time frame. Everything will be recorded in writing, will be digitalized and if any official goes for a search and seizures, video recording has been made mandatory. All these points have been incorporated as per the changing times. I would like to thank Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah once again and also every associated officials of Government of India. I express my heartfelt gratitude on behalf of Assam and I, as a representative from the State of Assam, welcome these Bills. Jai Axom, Vande Mataram."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Mithlesh Kumar.

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि भारत की दूरदर्शी कानून एवं व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भाग लेने का मुझे आपने अवसर दिया है।

---

* English translation of the original speech delivered in Assamese.

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा उठाये गये इस दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूँ, जो कानून का पालन करने वाली जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमारी कानून-प्रणाली और हमारी संस्कृति की आधारशिला समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद हम 7 दशकों तक ऐसे कानूनों के साथ संघर्ष करते रहे, जो हमारे समुदाय की जरूरतों और संस्कृतियों को पूरे तरीके से प्रतिबिम्बित नहीं करते थे। मैं आज उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए इस सरकार की सराहना करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश से पुराने ब्रिटिश कानूनों को खत्म करेंगे, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शुरुआत सही अर्थों में ब्रिटिश राज से गुलामी के सभी संकेतों को समाप्त करने और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी न्याय प्रणाली, विलम्बित न्याय वितरण प्रणालियों एवं अपीलों के साथ अदालतों के अत्यधिक बोझ, जिससे वहाँ के रोज चक्कर लगाने पड़ते थे, उनसे इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से मुक्ति मिली है। जो लोग खास कर छोटे-छोटे अपराधों में जेलों में बन्द हैं, उनके परिवारों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। ऐसे कैदी, जिन पर अपराधों के लिए कोई गम्भीर आरोप भी नहीं थे, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सुधारात्मक विधेयकों का आना इन सवालों का जवाब है। विधेयकों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर गम्भीर चुनौतियों का समाधान करने तथा एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव है, जो हम सभी के लिए सुरक्षित और सक्षम है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 (बीएनएसएस) का उद्देश्य सन् 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को प्रतिस्थापित करना है, जो उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देने, उन्नत संचार उपकरणों को अपनाने, विशेष रूप से कमजोर समूहों के सुरक्षात्मक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक संसाधनों की एक श्रृंखला शुरू करता है। न्याय की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और समाज के लिए कई बेहतर पहल करना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि समाज को ज़ीरो एफआईआर की बहुत आवश्यकता थी। अगर कहीं कोई अपराध होता था तो गरीब लोग इस थाने से उस थाने तक चक्कर काटते-काटते थक जाते थे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि एफआईआर भी होगी और वह 24 घंटे में उसको पहुँचा भी दी जाएगी। सरकार के द्वारा जो यह व्यवस्था की गई है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा हेतु जो यह विधेयक लेकर आए हैं, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और जनता में इसका बहुत बड़ा असर है। यह विधेयक बलात्कार एवं यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए एक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से हमारी महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित समाज प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

MR. CHAIRMAN: Thank You.

श्री मिथलेश कुमार: मान्यवर, एक मिनट। इस विधेयक में पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी पसंदीदा जगह पर लेने के लिए प्रावधान तय किए गए हैं। यह अनिवार्य करता है कि बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता-पिता, अभिभावकों, करीबी रिश्तेदारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में लिया जाएगा, उसको पॉक्सो जैसी धारा के अंतर्गत न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने देश में ऐसे कानून लाने का काम किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

श्री सभापति: श्रीमती संगीता यादव।

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023; क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से संबंधित विधेयकों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ।

माननीय सभापति जी, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने बी.ए. में पोलिटिकल साइंस पढ़ा था और बहुत अच्छे से कांस्टिट्यूशन को पढ़ा था। फिर, मैंने लॉ में एडमिशन लिया। चूंकि मेरा तीन मिनट का ही टाइम है, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। लॉ में एडमिशन के बाद जब मैंने एक सेमेस्टर का एग्जाम पूरा कर लिया, तो मैं अपनी टीचर से मिलने गई। मैंने उनसे पूछा कि इसको पढ़कर कहीं से भी नहीं लगता कि यह हमारा है। इकोनॉमी आदि में रोज इतने चेंजेज़ हो रहे हैं, हर जगह चेंजेज़ हो रहे हैं तो हम इसमें चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी टीचर ने तब मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। उस समय मैं मात्र 20 साल की थी। जब एक 20 साल की लड़की को छः महीने बाद ही समझ में आ गया कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो क्या 70 सालों में कांग्रेस को यह समझ में नहीं आया कि इसमें चेंज होना चाहिए? यह देश के साथ भी धोखा है, जनता के साथ भी धोखा है और हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसके साथ खुद ही अन्याय हो रहा था। माननीय सभापति जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की स्थिति फ्रांस के बुर्बो वंश की तरह हो गई थी, जो न पिछला कुछ भूलते थे और न अगला कुछ सीखते थे। आज भी आप देखिए कि इतने अच्छे कानून आए हैं, ठीक है, विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, अच्छा है, आप यह काम करें, लेकिन अगर केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, तो यह बड़ा ही गलत है।

माननीय सभापति जी, चूंकि मैं सबको सुन रही थी, इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि अब इस विधेयक के माध्यम से मानव से संबंधित अपराधों को प्राइयॉरिटी दी गई है। आज हमारे कानून का उद्देश्य सरकारी खजाने की रक्षा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बस यह है कि कैसे हमारी जनता की जरूरतें पूरी हों। इसके माध्यम से पूरे देश में न्याय प्रणाली एक जैसी की गई है, जिनके मैं कुछ एग्जैम्पल्स देना चाहूँगी। जैसे, बलात्कार से संबंधित धारा 367 को अब शुरू में रखा गया है, बच्चों से जुड़े अपराध भी आगे लेकर आए हैं।

मर्डर, जो पहले धारा 302 के अंतर्गत था, उसे अब धारा 101 के अंतर्गत लाया गया है। 18 वर्ष से कम की आयु में पॉक्सो की जो धाराएँ लागू होती थीं, उनको अब सब पर एक जैसा कर दिया गया है।

माननीय सभापति जी, मैं एक और चीज़ यह कहूँगी कि अगर न्याय देर से हो तो वह अन्याय-सा ही होता है। चूंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ और एक छोटी-सी कहानी सुनाकर अपनी बात शुरू करूँगी। बस, एक मिनट लगेगा।

श्री सभापतिः नहीं, आप कहानी के बाद अपनी बात खत्म करेंगी।

श्रीमती संगीता यादवः सर, मैं एक मिनट और लूँगी। महोदय, दो लोग जज के पास गए, जब निर्णय हो गया, तब अम्मा जी के पास जज साहब आए और पूछा कि सब ठीक है? वे बोलीं कि हां बेटा, तू जाकर इंस्पेक्टर बन जा, तो जज ने कहा कि अम्मा, मैं जज हूं, मैं इंस्पेक्टर से बहुत बड़ा हूं। अम्मा ने कहा कि बेटा, जब मेरा मामला थाने गया था, तब एसएचओ ने कहा था कि अम्मा, कुछ लेन-देन कर दें, मैं पांच दिन में केस निपटा दूंगा, पर तूने 5 साल लगा दिए, तुझसे बड़ा तो वह इंस्पेक्टर ही है। इसीलिए मैंने तुझे इंस्पेक्टर बनने का आशीर्वाद दिया है। यह कहानी दोबारा रिपीट न हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे संशोधन किए गए हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगी। हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, तब लोग हमसे मिलते हैं और बताते हैं कि मैडम, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है; मैडम, जांच में बार-बार अधिकारी चेंज हो रहे है, मेडिकल हो गया, किंतु रिपोर्ट नहीं आ रही है - इन सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। अब तीन दिन के अंदर एफआईआर होगी, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच होगी, 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, फॉरेंसिक लैब की मदद ली जाएगी। ऐसा करके यह प्रयास किया गया है कि न्याय वाकई में अन्याय में न बदले। मैं एक लाइन और बोल कर अपनी बात समाप्त कर रही हूं। महोदय, एक मूवी 'Wednesday' आई थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मेरी वाइफ बार-बार फोन करती है, वह इसलिए फोन नहीं करती है कि मैं क्या कर रहा हूं, वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि मैं ज़िंदा हूं या नहीं हूं। देश में भी यही हालत थी। इस मूवी में जो आतंकवाद का डर था, उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज आतंकवाद को भी अपराध के रूप में इस विधेयक में रखा गया है। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, ये जो तीनों कानून समाप्त होने जा रहे हैं, ये अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देना था, न कि न्याय देना। महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण था, गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना। महोदय, काफी लम्बी चर्चा हुई है, आपने समय बहुत कम दिया है, लेकिन मैं तीन-चार बातें रखूंगी। अगर एक-आधा मिनट का समय बढ़ जाए तो कृपया घंटी न बजाइएगा, मैं अपनी बात रखना चाहती हूं।

महोदय, जनहित में मुकदमा वापस करने के लिए भी खेल होता था। बहुत सी सरकारें ऐसी होती थीं, जो अपनों को बचाने के लिए जनहित में मुकदमे वापस करती थीं, लेकिन अब अगर कोई मुकदमा जनहित में वापस होता है - जनहित में मुकदमे वापस होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रावधान रखा है, वह यह है कि अब यदि कोई मुकदमा जनहित में वापस होगा तो पहले पीड़ित को सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद मुकदमा वापस करने से पहले कारण भी बताना पड़ेगा। महोदय, यही नहीं, फांसी की सज़ा को समाप्त नहीं कर सकते, उसके लिए कारण बताते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को भी समाप्त नहीं कर सकते, उसमें भी कम से कम 7 वर्ष की सज़ा सुनानी पड़ेगी। महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 1994 में बिहार में एक दलित डीएम, जी. कृष्णैया की हत्या हुई थी, उसे सरे-आम चौराहे पर मारा गया था और मारने वाला कोई और नहीं था, बल्कि एक जनप्रतिनिधि था। महोदय, उस जनप्रतिनिधि को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, लेकिन वहां की सरकार ने उस सज़ा को समाप्त कर दिया था। जनहित में मुकदमा वापस लेकर उनको दोषमुक्त कर दिया और बरी कर दिया। महोदय, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उसकी विधवा पत्नी और दो बेटियों का जीवन कैसे गुज़रा होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि सामने बैठने वाले लोग यहां उपस्थित नहीं हैं। हम यह कह सकते हैं कि इनको कानून से कोई लेना-देना नहीं है, इनको काले कानून पर भरोसा था, इनको आतंकवाद बढ़ाने पर भरोसा है, इनको अच्छे काम से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने न्यायप्रिय आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने ज़मीन पर, धरातल पर जाकर सभी लोगों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन तीनों बिलों को लाने का काम किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, बलात्कार की धारा 376 एवं हत्या की धारा 302, इसके पहले जो काला कानून था, उसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को नीचे की श्रेणी में रखा गया था। हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने की सरकार है। ...(**समय की घंटी**)... महिलाओं और बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बीते, उनको कैसे न्याय मिले, हमारी सरकार ने इसके संबंध में काम किया है। महोदय, 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ अगर गैंग रेप होता है, तो इसमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। यदि महिला बालिग है, तो आजीवन कारावास अथवा 20 साल की सजा होने का भी प्रावधान है। हमारे इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है, प्रमोशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर यौन उत्पीड़न करता है, यौन शोषण करता है, तो उसके बारे में भी कानून में अच्छा प्रावधान बनाया हुआ है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जो इस कानून को लेकर आए हैं, यह कानून ऐसे ही नहीं बनाया गया है। यह कानून न्याय देने के लिए बनाया गया है। हमें न्याय चाहिए, हमारे देश को न्याय चाहिए और विपक्ष के लोगों के बारे में मैं यह कह सकती हूं कि इनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को अपनी तरफ से और करोड़ों महिलाओं की तरफ से एक लाइन में कहना चाहती हूं:

"फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे,
वह शमा क्या बुझेगी, जिसको रोशन खुदा करे।"

इन दोनों के बहुत अच्छे कर्म हैं, इन्होंने जनता के हित में अच्छे-अच्छे काम किए हैं कि आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं, धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): सभापति महोदय, मैं इन महत्वपूर्ण बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने सुना और हमारे सभी ऑनरेबल मेम्बर्स ने यह बोला कि हम एक नई दिशा में आईन को लेकर जा रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नई जेनरेशन के लिए एक नया आईन बनाया है। उनकी एक बात मुझे बहुत इम्प्रैसिव लगी। उन्होंने लोक सभा में कहा - मैंने केवल क्रिमिनल लॉज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं, बल्कि 158 टाइम्स मीटिंग की, कोमा, फुलस्टॉप सब पढ़ा। इसका मतलब है कि जीरो एरर बनाने के लिए एक आईन व्यवस्था लाई गई है। जो केवल एडवोकेट्स के लिए नहीं है, बल्कि जनरल आदमी के लिए भी ये लॉज़ लाए गए हैं। आईपीसी और जो तीन नए आईन - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल में जो परिवर्तन लाने का प्रावधान किया गया है और जो आज पास हो जाएंगे, इसके बाद अपराध और अपराधी के बीच में रिलेशन भी कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। न्यू जेनरेशन इसके बारे में ज्यादा जानना चाहती है और नया लॉ भी मांगती है। ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए लॉज़ का देश के ही आदमियों ने मिसयूज़ किया था। मैं चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा से और अमित शाह जी के कारण से यह आईन एक ऐसे आईन में बदल जाएगा, जहां पर अपराधी, अपराध करने में डरेगा। इसलिए न्याय तो ठीक है, दंड से न्याय होगा, यह भी ठीक है, लेकिन दंड का जो प्रावधान है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। दंड कितना होगा, इसका क्या प्रावधान होगा - मैं सभी ऑनरेबल मेम्बर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने क्षेत्र में बताएं, देश को बताएं और यह भी बताएं कि जो परिवर्तन आ रहा है, वह कैसे होगा। यह परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के बीच में इन तीन लॉज़ से कितनी कार्रवाई होगी, यह इस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि रेपिस्ट है, मर्डरर है - आतंकवादी के बारे में होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने इतना strongly बोला कि यह भी हम लोगों को छू गया कि देश का विरोध करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों के अगेंस्ट बोलो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के अगेंस्ट बोलना बहुत डेंजरस है और इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं है।

चेयरमैन सर, हमारे नॉर्थ-ईस्ट में बहुत उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन्स थीं। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ऐसी व्यवस्था की कि वहां पर अब पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके लिए आईन प्रयोग नहीं करना पड़ा। यह खाली influence से हो गया, इसलिए मैं इन दोनों नेताओं को - हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवादियों का खौफ था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की है कि वहां पर कोई उग्रवादी बनना नहीं चाहता है और वे सब mainstream में आ गये हैं। यह इसलिए हुआ

है कि वे जानते हैं कि हमारी पार्टी केवल बोलती नहीं है, काम करती भी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी-लेड जो गवर्नमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट, three laws लाई है, ये आज पास हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इनको execute करते समय नागरिकों के हितों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि कानूनों का पुलिस ने भी misuse किया है, जिसके बारे में मैक्सिमम मैम्बर्स ने बोला है। अब FIR time-bound हो गई है, इसलिए अब सभी की मानसिकता भी ठीक हो जायेगी। होम मिनिस्टर साहब ने इनको ठीक से पढ़ा है और सभी के साथ विचार-विमर्श किया है। मैं समझता हूं कि अभी तक जितने लॉज़ बने हैं, यह उनमें सबसे serious law है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद जताता हूं कि महिलाओं से लेकर सभी के लिए यह आईन बहुत सुलभ हो गया है और यह आईन सभी को न्याय देने वाला है। इसके बारे में सभी लोग beyond party अच्छा बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है ...(**समय की घंटी**)... लेकिन मैं फिर से एक बार प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः श्री रामचंद्र जांगड़ा।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): सभापति महोदय, मैं इतिहास की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए, इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ चाहे थोड़ा लेट चले जाएं, लेकिन अंग्रेज़ियत पहले चली जानी चाहिए। लोहिया जी ने भी कहा था कि जब अंग्रेज़ चले गये, तो फिर अंग्रेज़ियत क्यों नहीं जा रही है, लेकिन अंग्रेज़ियत इस देश में विराजमान रही, जो अब जा रही है। मैं एक घटना का उल्लेख करता हूं कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई, American Union Carbide Company के Managing Director, Warren Anderson को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह के सरकारी विमान में दिल्ली लाया गया और उसको अमेरिका भगा दिया गया। हजारों लोग वर्षों तक न्याय के लिए भटकते रहे और हजारों लोग मर गये। यह बिल विदेश में बैठे हुए proclaimed offender को भी कानून के दायरे में लेकर आ रहा है, यह सबसे बड़ी खासियत इस बिल की है।

मान्यवर, भारतीय आचार संहिता के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर एक आतताई की संज्ञा दी गई है। आतताई किसे माना गया है, जो आपके घर को आग लगा रहा हो, आपकी पत्नी का अपहरण कर रहा हो, आपकी तरफ शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा हो, उस आतताई का वध करने में भी आपको कोई अपराध नहीं लगता है। धारा 35 से 44 तक Right of private defence of body and property causing death. यह आदमी को अधिकार दे रहा है। यह बिल आदमी को अधिकार दे रहा है कि आपको अपनी property का, अपनी नारी का, अपने घर का, अपनी इज़्ज़त का और अपनी बॉडी की रक्षा करने का अधिकार है। यह इस बिल की खासियत है।

मान्यवर, इतिहास की घटनाओं से कुछ सीखा नहीं गया है। हमारे सामने रूस के Mikhail Gorbachev के समय में communism खत्म हुआ, रूस का बंटवारा हुआ और उसी दिन 50-50 फुट ऊंची Lenin की मूर्तियों को गिरा दिया गया और Leningrad शहर का नाम बदलकर Saint Petersburg कर दिया गया, लेकिन यहां अगर नरेन्द्र मोदी नहीं आते, तो कर्तव्य पथ के ऊपर सुभाष चंद्र बोस भी नहीं आते। अब तक इस देश में अंग्रेज़ियत का कानून चलता रहा।

मान्यवर, इतिहास की बहुत सी घटनाएं याद हैं, लेकिन समय कम है, इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इन बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापतिः श्री कृष्ण लाल पंवार।

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा)ः सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023 के समर्थन में मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 511 धाराएं थीं और अब उनकी जगह 358 रह गई हैं। इसमें 21 नये अपराधों को जोड़ा गया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तित किया गया है। आतंकवाद को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालता है। आम जनता को डराना या सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को बिगाड़ना, संगठित अपराध, अपहरण, जबरन, जबर्दस्ती वसूली, अनुबंध हत्या, भूमि कब्जा, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध, छोटे संगठित अपराध आदि वे अपराध हैं, जो नागरिकों के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना पैदा करते हैं। ऐसे में सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। जातीय नस्ल पर व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या को सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार पर मृत्यु दंड, धोखेबाजी से यौन संबंध बनाने में दस साल तक की कठोर सजा व जुर्माना तय किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा में पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं हो गई हैं। परीक्षणों, अपीलों की गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। पुलिस को शिकायत की स्थिति में नब्बे दिनों में सूचित करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य है। यह न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति को प्रदान करता है। इसमें ई-मेल, एसएमएस के मैसेज से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास तीस दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास साठ दिनों के भीतर देनी होगी। आर्थिक अपराधों में आरोपी के मामलों में हथकड़ी के उपयोग को हटाया है, हिरासत के अलावा आरोपी को न्यायालय में पेश करने के समय भी हथकड़ी का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ प्लीडर शब्द आया है, वहाँ अधिवक्ता प्रस्तावित होगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार से पहले भारतीय साक्ष्य बिल, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं, लेकिन अब 170 धाराएं बनी हैं। ..(**समय की घंटी**).. महोदय,मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम किया गया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई इन्फॉर्मेशन को भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है। मैं 2015-16 में हरियाणा में परिवहन, आवास और जेल मंत्री था। मुझे जेलों में जाने का अवसर मिला था। जब मैं एक जेल में गया, तो मैंने एक महिला से पूछा था कि आप यहाँ किस केस में बंद हैं? उस महिला ने बताया कि मैं रिक्शा चोरी के केस में जेल में आई हूं और ढाई साल से जेल में बंद हूं। मैंने उनसे पूछा कि अभी तक आपकी जमानत क्यों

नहीं हुई? उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से कोई जमानती मुलाकात के लिए नहीं आया। महोदय, मैंने उसी टाइम वहाँ के एनजीओ को साथ जोड़ा, उसके परिवार को ढूँढ़ा और उस महिला की जमानत कराई। महोदय, देश में इस तरह के ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं, जिनमें मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए मेरा अनुरोध है कि एनजीओ को साथ जोड़कर उनकी जमानत के लिए मुलाकात कराई जाए।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे यहाँ इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे तीन महत्वपूर्ण बिल्स पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आज इन महत्वपूर्ण बिल्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी के प्राचीन कानूनों से मुक्ति की बात कही थी। महोदय, उसी पहल के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव करने के लिए गंभीरता से विचार किया है और ब्रिटिश काल के काले कानूनों, गुलामी के प्रतीक कानूनों को खत्म करने का हमारी मजबूत सरकार ने हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया है। मैं इन बिल्स को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि जनता को पुलिस राज से मुक्ति मिलेगी और गुलामी की सारी निशानियाँ खत्म की जाएंगी।

7.00 P.M.

यह विधेयक प्रधान मंत्री जी के उस प्रण का अनुपालन करने का विधेयक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की जगह पर भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता, 2023 को स्थापित किया जाएगा। पहले के कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय करना नहीं था, लेकिन अब हमारी सरकार गुलामी के प्रतीक इस कानून को निरस्त करके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को लेकर आई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय देना होगा, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। महोदय, इस बिल में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है और उनके साथ किए गए अपराधों के अपराधियों को पर्याप्त सजा मिले, इसका प्रावधान किया गया है। पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसका भी प्रावधान किया गया है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, यह विधेयक कम से कम सात साल कैद की सजा वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए स्थलों का दौरा कर सकेंगे और प्रक्रिया को मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड में रखेंगे। यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक जांच की सुविधा नहीं है, तो वे दूसरे राज्य का भी उपयोग कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, ये जो विधेयक आज पारित होने जा रहे हैं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के 193 देश इस बिल

को पास होते हुए देख रहे हैं। आज भारत की 140 करोड़ जनता ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जनता देख रही है कि आज भारत में दूसरी आजादी इतिहास बना रही है।

SHRI SADANAND SHET TANAWDE (Goa): Thank you hon. Chairman, Sir. I stand to support the Bill. The introduction of revised Criminal Bills including the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, after incorporating recommendations by Parliamentary Committee, is a historic milestone in the legislative and judicial history of India created by our dearest Prime Minister, Modi*ji* and Home Minister, Amit Shah*ji*. It will replace the colonised version of the IPC by Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023, the CrPC of 1973 by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 whereas the Indian Evidence Act of 1872 is being replaced by the Bharatiya Sakshya Bill, 2023. One must remember that the earlier Acts were the legacy of the British written by assuming that they were the masters and Indians were their colonised slaves. The intention and the mentality of the people at that time was prejudicial and negative. The Congress had enough opportunities and a mandate in the last sixty years or so to do the needful. Now, with the opposition crying foul, the past failure and inaction of the Congress is further exposed. Had we continued with the old Acts, several official amendments would further have to be made in order to sync them with times. Thus, the need to bring in new Bills instead. The new Bill will not only penalise the action but also the wrong intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty and also intent to strike terror. This is a strong and bold move and, in fact, brings fear in the minds of anti nationals, terrorists and those who dance to the tune of external forces.

I welcome the move by the hon. Prime Minister to do away with the regressive terminologies in old Acts and the earlier version of the Bill. Sir, our Government has replaced terms such as lunacy, mental retardation and earned soundness of mind with mental illness. The time frame of thirty days with a possible extension up to sixty days prescribed to pass a judgement upon conclusion of argument will expedite the process of judicial justice. Also, in the provision of mob lynching and possible death; penalty is far-reaching in our current social context.

The significant move to capture all the new Bills in Hindi and Sanskrit is welcome. It brings further the feeling of oneness and common eras. It brings in pride and confidence about our glorious past. It will act as a moral goalpost for the country as we march forward in Amrit Kaal. On my personal behalf and on behalf of all the Goans, who suffered 450-odd years of colonial oppression until we were liberated fourteen years after Indian Independence, I thank the hon. Home Minister. We understand the significance of these progressive Bills. While congratulating Modiji and our hon. Home Minister, Shri Amit Shahji, I support these Bills.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): सभापति महोदय, आज से लगभग 163 साल पहले क्रिमिनल लॉ से संबंधित ये जो आईपीसी से जुड़े हुए तीन कानून हैं, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। आज 163 साल के बाद भारतीय न्याय संहिता को आजाद भारत की संसद पारित कर रही है। आईपीसी को ब्रिटिश क्राउन के निर्देश पर थॉमस बबिंगटन मैकाले ने तैयार किया था। आज इस कानून, भारतीय न्याय संहिता को नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर अमित शाह जी की टीम ने तैयार करने का काम किया है। महोदय, जहां पुराने कानून का नाम अंग्रेजी में था - इंडियन पीनल कोड, वहीं नए कानून का नाम हिंदी में है - भारतीय न्याय संहिता।

महोदय, जहां आईपीसी और अन्य कानून भारतीयों को दंडित करने के लिए बने थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता भारतीयों को न्याय देने के लिए बना है। पुराने कानून में राजद्रोह का प्रावधान था और नए कानून में देशद्रोह का प्रावधान है। राज्य सरकार या सरकारों के खिलाफ कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन कोई अगर देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ने और उसको जवाब देने की हिम्मत भी इस कानून के अंदर है। देश के हितों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। देश के झंडे, सीमाओं और संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है।

महोदय, जहां आईपीसी गुलाम भारत का कानून था, वहीं भारतीय न्याय संहिता आजाद भारत का कानून है। लॉर्ड मैकाले ने क्रिमिनल लॉ, जो शरीयत के अनुसार उस जमाने में चल रहा था - उस जमाने में शरीयत के अनुसार क्रिमिनल लॉ था - उसे समाप्त कर इस देश में इंग्लिश लॉ लागू करने का काम किया गया था। वहीं अमित शाह जी ने इंग्लिश लॉ पर आधारित आईपीसी को समाप्त कर, भारतीय दर्शन मूल्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता को लाने का काम किया है। अगले डेढ़ सौ सालों तक देश और दुनिया श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नाम को याद रखेगी। जब तक भारतीय न्याय संहिता है, तब तक इन नामों को लोग स्मरण करते रहेंगे।

सभापति महोदय, आज सदन के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने बहिष्कार किया है, वे शामिल नहीं हुए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर इंडी गठबंधन में हिम्मत है, तो वह घोषणा करे कि अगर गलती से उनकी सरकार बन गई, तो वे भारतीय न्याय संहिता को रद्द कर आईपीसी को दोबारा इस देश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों कानून बने हैं, ये देश के इतिहास के अंदर मील का पत्थर साबित होंगे, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Amit Shah to reply to the discussion.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, आज मैं राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल ही लोक सभा ने इन तीनों विधेयकों पर अपनी मोहर लगा दी है। आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा।

मान्यवर, 'आपराधिक कानून' और 'आपराधिक प्रक्रिया' हमारी कन्करेंट लिस्ट में हैं, परंतु कई सालों से, -- आईपीसी 163 सालों से, सीआरपीसी 125 सालों से और एविडेंस एक्ट 150 सालों से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे -- उन्हीं एक्ट्स से आज तक हम गवर्न हो रहे थे। नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर बदलाव करके, उनको समाप्त करके भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत की है।

मान्यवर, हम इन पर अगस्त, 2019 से ही विचार-विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे। मुझे आनन्द है कि आज मैं इस महान सदन के सामने इनका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, बल्कि इनके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों को सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और इनका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा था। इनमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, उसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूँढ़ें, तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी यह इंगित हो जाता है। मानव वध या किसी माँ-बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है! परंतु पहले ट्रेज़री के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इनकी प्राइयॉरिटी ऊपर थी, जबकि मानव हत्या की प्राइयॉरिटी और बहन-बेटी के साथ अत्याचार की प्राइयॉरिटी बहुत नीचे थी, क्योंकि अंग्रेज शासन का यह उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य उनको दंड देने का था, जो शासन के खिलाफ काम करते थे। उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उनको न्याय देने का नहीं था।

मान्यवर, आज मैं जो तीन बिल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इन तीनों बिल्स का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है। हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। 'न्याय' शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित करके न्याय की एक संपूर्ण कल्पना है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप नए कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो पाएँगे कि भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इनके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ आबादी के देश को दी है, इसकी भी परिपूर्ति करने का इन तीनों बिल्स के अंदर प्रयास किया गया है। मान्यवर, इन कानूनों की आत्मा भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगा, जिसका मुझे बहुत गर्व है।

महोदय, भारतीय न्याय संहिता के खंड-2 में डेफिनिशन दी गयी है। डेफिनिशन के अन्दर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूँ कि समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन हैं, उनमें वह सबसे उदार चरित कल्पना है। उस उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी - इन सारी व्याख्याओं का हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। आज मुझे लगता है, जब यह एक्ट बनाने के लिए विचार-विमर्श होता था, तो ढेर

सारे लोगों से मैंने विचार-विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन कॉंसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कॉंसेप्ट को भी देखा है, आइरिश कॉंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हमारे भारतीय पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, वह विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान है। इस कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया है, इतना ही नहीं है, हमने इसको - मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मान्यवर, कि जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्नीक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा, तो वह भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा। मान्यवर, ज़ीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केसेज़ के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है।

मान्यवर, कई लोग बाहर सवाल करते हैं। यहाँ तो वे बैठे नहीं हैं। अगर वे यहाँ बैठ कर पूछते, तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूँ और मानता हूँ कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वे कहते हैं कि नये कानून की जरूरत क्या है? उनको 'स्वराज' का मतलब ही मालूम नहीं है। 'स्वराज' का मतलब 'स्वशासन' से नहीं होता है। 'स्व' शब्द सिर्फ 'शासन' से जुड़ा हुआ नहीं है। 'स्वराज' मतलब - 'स्वधर्म' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वसंस्कृति' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है और 'स्वशासन' को जो प्रस्थापित करे, वह 'स्वराज' है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। गांधी जी ने 'स्वराज' की लड़ाई लड़ी थी और आज तक आप 75 सालों में से करीब-करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे, लेकिन 'स्व' को जाग्रत करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, 'स्व' को जाग्रत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है।

मान्यवर, लोकतंत्र में 'बैलेंस ऑफ वर्क' की एक टर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली, जो अभी हमारे देश के अन्दर काम कर रही है, उसमें यह बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अन्दर 'बैलेंस ऑफ वर्क' का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि 'बैलेंस ऑफ वर्क' को कितना फाइन ट्यून करके इस कानून के अन्दर हमने प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को तथा सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस कानून का सम्पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 'तारीख पे तारीख' का जमाना जाएगा और तीन साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अन्दर प्रस्थापित होगी।

मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि आज इस कानून को इस सदन का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, Criminal Justice System, 19वीं सदी से निकल कर 2 सदियों का फासला काट कर 21वीं सदी में सीधे प्रवेश करेगा। मान्यवर, इस कानून से क्या होगा? तो हम मूल भारतीय परम्परा की न्याय की अवधारणा का समग्र विश्व से परिचय करा पाएँगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। जो पूछते हैं कि इससे क्या होगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भारत

की 140 करोड़ की जनता के लिए विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली उपस्थित होगी।

जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो विद्यमान हैं, वे सारी तकनीक और आने वाले 100 सालों तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, उन सारी तकनीकों को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन करके समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सभी घृणित अपराधों के लिए सात साल से ज्यादा की सजा है। हमने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विजिट को कम्पलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेश्यो में बढ़ोतरी होगी। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन पूरे देश में चार प्रकार की न्याय-प्रणालियाँ चलती रहीं। इस कानून के आने के बाद अब कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक एक ही प्रकार की न्याय-प्रणाली चलेगी।

मान्यवर, जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात होती थी, तो वह आप विदेश से आए हुए कॉन्सेप्ट्स और एनजीओज़ के थोपे गए विचारों से करते थे। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मातृशक्ति के लिए हमारा जो परंपरागत सम्मान है, इस कानून के अंदर उस सम्मान को हम कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों तक और चार दशकों तक आतंकवाद का दंश झेलने के बाद भी इस देश की आपराधिक न्याय-प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनिशन नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने zero tolerance towards आतंकवाद का परिचय देते हुए टेरेरिज्म की डेफिनिशन को इसके अंदर शामिल किया है।

मान्यवर, जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून से राजद्रोह अब देशद्रोह में बदल गया है। एक जमाना था जब इस देश के अंदर ब्रिटिश ताज का शासन था और रानी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर लोग फाँसी पर चढ़ा दिए जाते थे। चाहे महात्मा गांधी हों, तिलक महाराज हों या वीर सावरकर हों, वे राजद्रोह के कानून में कई सालों तक जेल में रहे। आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया, इमरजेंसी के अंदर विपक्ष के ढेर सारे नेताओं और ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया। हमने राजद्रोह के अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है। इस देश के अंदर शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र भी है, मगर आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान पहुँचाओगे, तो उसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र का जो मूल विचार है, उसमें देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। इसको हम इस कानून के माध्यम से ला रहे हैं।

मान्यवर, जो पूछ रहे हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए थे। एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य के गैंग बन गए, जो संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, लेकिन

उन अपराधों में तो उनका केवल हाथ होता था, उनमें दिमाग लगाने वाला कहीं और बैठा होता था। इसको 120बी की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाया जाता था। अब इस कानून के माध्यम से हमने संगठित अपराध के लिए एक नई अवधारणा, एक नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम किया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा और जो लिब्रलाइजेशन की बात करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पहले छोटे-से गुनाह के लिए जेल में डालने का अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट था। मान्यवर, गलती होती है। कोई पहली बार गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, फिर भी गुनाह होता है, ऐसे लोगों को जेल में पहुँचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न हमने इस कानून के अंदर किया है।

मान्यवर, जो यह कहते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अब न्याय जल्दी मिलेगा, गरीब आदमी के लिए न्याय महँगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पुलिस, वकील, कोर्ट, इन तीनों के लिए समय-मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तीन साल के अंदर फैसला हाथ में आएगा।

जो कहते हैं कि क्या हुआ है - कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर-उधर आ जाता है, गलती से आता है। मान्यवर, आज इसकी अपील का निर्णय कौन करता है! प्रॉसीक्यूशन का जो वकील होता है, वही अपील करता है। हमने इसमें Director of Prosecution के अस्तित्व को compulsory कर दिया है, जो पहले advisor था, अब हर जिले में एक Director of Prosecution रहेगा, जो पूरी prosecution की प्रक्रिया से अलग रहकर निर्णय करेगा कि यह अपील योग्य केस है या नहीं है।

महोदय, जो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश संसद के बनाए हुए कानूनों को समाप्त करके मोदी जी ने भारतीय संसद के गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश इस कानून के पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर चलेगा। मान्यवर, वे इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं कि वे इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है, वह समझ सकता है कि कितने बड़े गौरव की बात है, मगर जिन्होंने इटैलियन चश्मा पहना है, वे इसे नहीं समझ सकते। देश की जनता को उनसे अब अपेक्षा भी नहीं है।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है - मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शंस और 39 नए सब-सेक्शंस जोड़े गए हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी गई हैं, 35 सेक्शंस में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है।

मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिनमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। वे हम पर आरोप लगाते थे कि आप मॉब लिंचिंग को protect करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया - मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और हमने इसको कठोरता के साथ लिया है। मान्यवर, 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में निम्नतम सज़ा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में

सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।

इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं, और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, सारे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने वर्ष 2019 से इस कानून को बनाने की शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास भी किया, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है, मैं बाद में इस पर आता हूं। आज जो कह रहे हैं कि इसे क्यों ला रहे हैं? वे यहां नहीं हैं, मगर मुझे भरोसा है कि वे मुझे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, इसलिए मैं उनके न होने पर भी जवाब देता हूं कि आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा-पत्र को घोषणा-पत्र मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा-पत्र नहीं कहती है, संकल्प-पत्र कहती है और संकल्प को सिद्ध करती है। आपका इतिहास है, बोलकर भूल जाना, लेकिन हमारा इतिहास है - जो मोदी जी कहते हैं, वह करते हैं।

मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि terrorism के प्रति zero tolerance की नीति को लाएंगे और आज 3 hotspot - कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी हुई है, 73 प्रतिशत मृत्यु में कमी हुई है। आज आतंकवाद की definition को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को terrorism के दंश से मुक्त कराना है, इसीलिए हम ये बिल्स लेकर आए हैं।

मान्यवर, हमने संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे - 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला है, यह वादा भी नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि इस देश की मातृशक्ति को इस देश के नीति-निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। विधान मंडलों में और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर आज़ादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। मैं जो पढ़ रहा हूं, वह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन में कर रहे हैं। इसमें व्यास, अत्री, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि जैसे अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है, उसको conceptualise करके आज के जमाने के अनुरूप बनाकर इन कानूनों में स्थान दिया गया है और ढेर सारी ऋचाओं को इसकी आत्मा को पकड़ कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है। यदि कोई बारीकी से देखेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से बदला है, आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। आठ हजार साल पहले जो नारद ने बात कही थी, मैं आज बताता हूं। मैं जब इसका अभ्यास कर रहा था, तब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है, वह कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वह चिरंजीवी है। आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से इन कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। आज तक जो कानून चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे, जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। जैसे 'United Kingdom' की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, 'Crown' के प्रतिनिधि, 'London Gazette', 'Jury',

'United Kingdom of Great Britain and Ireland', 'Her Majesty सरकार', 'London Gazette' द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, 'British Crown' का अपमान, 'England' के न्यायालय की परंपरा और 'Her Majesty Romanian' 'barrister' शब्द का भी उल्लेख था। ये सारे 75 साल तक इस देश के criminal justice में चले गए। इस पर कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। 2014 में इस देश की जनता ने मोदी जी को इस देश का प्रधान मंत्री बनने का मौका दिया और 2019 से 2024 तक पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं कि ये तीनों कानून, जिनकी आत्मा भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उनकी सोच भी भारतीय है। संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन में पेश कर रहा हूं। महोदय, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। सितंबर 2019 में हमने इसकी प्रक्रिया चालू की। मैंने सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश और सभी हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च अदालत को पत्र लिखे, system Bar Council और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे। वर्ष 2021 में मैंने दोनों सदन के संसद सदस्यों को पत्र लिखा, BPR&D ने 2020 में देश के सभी IPS अफसरों को पत्र लिखे। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी District Collectors को पत्र लिखे, क्योंकि District Collectors भी criminal justice system का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। 2020 में इन सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया। वर्ष 2020 से 2023 तक इसके बारे में सोचते-सोचते आज विचारों का जो परिपाक है, उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 न्यायिक academies, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 1000 IPS अफसरों के लगभग 3,200 सुझावों को analysis करके यह कानून बनाया गया है। मैं मानता हूं कि शायद ही किसी कानून पर इतना विस्तृत consultation process हुआ हो। इसके बाद यह जब कानून बना, तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानूनों को पढ़ा। इसके बाद हमने इसको Standing Committee को सौंपा। इसी सदन से हमारे सम्माननीय सदस्य पूर्व DG साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए थे, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इसके 72 प्रतिशत सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया, जो non-political थे और कुछ सुझाव स्वीकार नहीं हुए थे। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है। हमने computerization पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर 2019 से काम चल रहा है।

देश के 97 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है। ये लोग कहते हैं कि कब होगा, कब होगा? वे प्रधान मंत्री जी को जानते नहीं हैं, प्रधान मंत्री जी कानून आने से पहले जो सोचते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का पूरा नेटवर्क प्रधान मंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये पुलिस स्टेशन ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, अब Zero FIR और e-FIR हो पायेगी। जो FIR की जांच होती है, उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में बताना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या हुआ।

मान्यवर, मैं आगे forensic के बारे में भी बताता हूं। हमने ICJS के माध्यम से लगभग 8 करोड़ FIR का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और e-court के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, e-prison का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, e-prosecution का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और e-forensic भी शुरू हो चुका है। Forensic Science Laboratory, प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल, कोर्ट, सभी पुलिस थाने और गृह मंत्रालय - सभी आज आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के

इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इसके inter-pillar integration के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू हैं। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके inter-pillar integration भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटा बेस के साथ भी, इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, National Automatic Fingerprint Data, वह भी एकजुट हो जाएगा, Investigation Tracking System for Sexual Offences, वह डेटा भी integrate हो जाएगा, National Integrated Database on Arrested Narcotic Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, National Database on Sexual Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Crime Multi-Agency Centre, MAC, वह भी integrate हो जाएगा, तो सारी आर्थिक गुनाह की चीज़ें भी integrate हो जाएंगी, Integrated Monitoring of Terrorism (MoT), वह भी integrate हो जाएगा, National Database on Human Trafficking Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Track Child, वह भी integrate हो जाएगा, Immigration Visa and Foreign Registration Tracking System, IVFRT, वह भी integrate हो जाएगा, वाहन, सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हों, वे भी इसके साथ integrate हो जाएंगे।

मान्यवर, मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 82 प्रतिशत काम बिल पारित होने से पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो 18 प्रतिशत कार्य है, उसे भी हम एक साल में समाप्त कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कब आयेगा - यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप यह बात समझ नहीं रहे हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो simultaneous काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है और नतीजे लाती है।

मान्यवर, ये हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। हमने Director of Prosecution की पूरी अवधारणा को डिटेल में कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम किया है। हमने पुलिस की accountability को भी फिक्स किया है। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारी habeas corpus की अर्जियां हाई कोर्ट्स के सामने आती हैं कि हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाइये, वह गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई-रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा कि कितने लोग हिरासत में हैं, यह प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को habeas corpus की अर्जी लगानी ही न पड़े। इसके लिए हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है।

मान्यवर, तीन वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता किए हैं, जिससे इनके साथ उम्र का और महिलाओं के सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार पर ही इनसे पूछताछ की जाए।

मान्यवर, विक्टिम को आज तक FIR की निशुल्क कापी की व्यवस्था नहीं थी, अब हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में बताया जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, FIR और गवाह के बयान ऑनलाइन कम्पलसरी भेजने का प्रावधान किया है। जांच और मुकदमे के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित को बताने की व्यवस्था की है।

मान्यवर, यह कानून विक्टिम सैंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है, उसे दंड देने का उद्देश्य था, इस कानून का जो उद्देश्य है, वह विक्टिम को न्याय देने का है, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुन: प्रस्थापित करने का है। ये इस कानून के बहुत बड़े

मूलभूत अंतर हैं। इस बिल के अंदर उसके पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा गया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि पहले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, लेकिन अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा।

महोदय, हमने इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है। वह भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। जीरो एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी - दबंगों के डर से या थाने में कोई मिलीभगत वाला अधिकारी बैठा है और वह एफआईआर नहीं लिखता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति देश भर में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज़ कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 321 में एक कमी थी और वह कमी यह थी कि विक्टिम की बात सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उसे सुना जाएगा। उसकी एक प्रति निःशुल्क दे दी जाएगी और जब किसी के यहाँ भी जब्ती होगी, तब इसकी वीडियोग्राफी कंपल्सरी की जाएगी, जिससे पुलिस वहाँ पर कोई चिह्न पता कर सके। यह वीडियोग्राफी पंचों की उपस्थिति में होगी, जो सर्टिफाइड होगी, जिससे यदि कोई किसी के घर पर कोई चीज़ रख दे, तो किसी भी नागरिक को परेशान न होना पड़े।

मान्यवर, हम जो बिल्स लेकर आए हैं, उनसे जो ढेर सारे छिद्र थे, उनको बंद करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मगर कुछ चीज़ें जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मानवीय अधिकारों में हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी दी है, अतः हमने इन्हीं के आधार पर यह बदलाव किया है।

महोदय, पहले बलात्कार धारा 375 और 376 में था, लेकिन अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती हैं, धारा 60 से अपराधों का वर्णन होता है, इसमें बलात्कार के अपराध को 63 नंबर दिया गया है। सबसे पहला स्थान महिला के साथ हुए अत्याचार को दिया गया है। हमने गैंग रेप को धारा 70 में डाला है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आस-पास डाला है। मर्डर, जो पहले धारा 303 में था, अब महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव वध को लेकर 101 नंबर की धारा अब धारा 300 की जगह पर होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया गया है। हमने व्यक्ति के, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है।

महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि क्या था, शायद कुछ संस्कार होगा, लेकिन मैं बचपन से ही कांग्रेस पार्टी का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं तब से विरोधी रहा हूं, पर मैं उन्हें बारीकी से देखता हूं। वे जब-जब सत्ता में आते थे, तब-तब 124ए, मतलब राजद्रोह का बड़ी मौज से उपयोग करते थे। लेकिन जब सत्ता से बाहर जाते थे, तो कहते थे कि 124ए तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त करना है। लेकिन जब फिर से सत्ता में आते थे, तो फिर 124ए का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर रही है।

मान्यवर, शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है। आप व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा, आप बोलिए। बदनक्षी का प्रावधान है, जो जाना चाहे, वह कोर्ट में जाए, मगर आपको आपराधिक न्याय प्रणाली नहीं झेलनी

पड़ेगी, परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनन्द है कि आज वह धारा यहाँ से समाप्त हो रही है।

मान्यवर, इसके साथ ही ये कहते हैं कि आप अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए हैं। मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले आईपीसी की धारा 124ए में जो शब्द प्रयोग किया गया था, वह था - सरकार के खिलाफ। सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत्वा।

अब बीएनएस की धारा 152 के तहत, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसे देशद्रोही माना जाएगा। यह बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है। 'सरकार' की जगह पर 'भारत' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'भारत' नाम उन्हें पसंद ही नहीं आता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस देश का नाम ही भारत है। जो भारत के खिलाफ कुछ करेगा, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसके खिलाफ धारा 152 लाई जाएगी। आईपीसी में आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। हमने देशद्रोह की डेफिनिशन में आशय की बात करके, उसे बचने का एक और मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनिशन थी, उसमें 'घृणा' और 'अवमानना' शब्द थे, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता था। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते हैं, रानी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, रानी से घृणा नहीं बोल सकते हैं। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, अब घृणा और अवमानना शब्द हटाकर, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियाँ और देश के अर्थ तंत्र को नुकसान पहुंचाना शब्द डाले गए हैं। ये सारे उद्देश्य शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए हैं, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए नहीं हैं। मगर मुझे मालूम है कि मैं उन्हें नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहेंगे। उनकी तो इच्छा थी कि यह मूल स्वरूप में ही चालू रहे और कभी हमारा नंबर लग जाएगा, तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है।

मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, उनके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बनाए हैं। इसके साथ इसकी फाइन ट्यूनिंग की है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में कम आयु की महिलाएं डाल दी हैं, जो पहले 15 साल था। व्यस्क महिला के गैंग रेप के लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम किए हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का काम भी किया है। जो सबसे बड़ा प्रोविजन किया गया है, वह यह है कि हमने धारा 113(1) में टेररिज्म की डेफिनिशन दी है, आतंकवाद की डेफिनिशन दी है। कल लोक सभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि देश की संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रही है, तो भला मेरे मन में क्यों भय जागेगा? अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है, तो इससे मेरी सुरक्षा ही होगी। मान्यवर, भय किसके मन में जागेगा, कराने वालों के मन में जागेगा! मगर मैं देश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हमने इसका दुरुपयोग होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इसे पूरा सोच-विचार करके लेकर आए हैं। हमने व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सम्प्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक

सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से, या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, तो उसे आतंकवादी माना जाएगा। मैं मानता हूँ कि किसी को इस कैटेगरी में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में पड़ते हैं, इसमें आते हैं, तो निश्चित रूप से मानकर चलिएगा कि आप कठोर से कठोर दंड के भागीदार होंगे। मान्यवर, हमने बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीली गैसों और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने, बेचने या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहा है। इसमें ऐसी क्या गतिविधि है, जिसका दुरुपयोग हो जाएगा? क्या जहरीली गैसों को जनता के बीच में उपयोग करना चाहिए, बम विस्फोट करने चाहिए, डायनामाइट से बिल्डिंग्स उड़ानी चाहिए? मान्यवर, जो 70,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वे कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इस डेफिनिशन के सभी पुलिस स्टेशंस में जाने के बाद, मैं मानता हूँ कि इसकी गति और तेज होगी और देश आतंकवाद से पूर्णतः मुक्त होगा।

इसमें कहीं पर भी और किसी पर भी अन्याय होने की बात नहीं है। इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की गई है। पहले संगठिन अपराध में जो ब्रेन होता था, वह कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वह धारा 120 से नहीं, बल्कि सीधे इसमें अपराधी बनेगा। इसके अलावा आर्थिक अपराध की व्याख्या का भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जो भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, उनके संबंध में सभी जजमेंट्स की स्टडी करके हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है।

मान्यवर, हमने गैर इरादतन हत्या में भी दो बदलाव किए हैं। एक बदलाव यह किया है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उससे टक्कर लग जाती है, लेकिन उसका इरादा नहीं होता है और कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है। फिर वह व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 पर फोन करता है, उसको अस्पताल में पहुंचाता है, तो इससे पता चलता है कि इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सज़ा का प्रावधान किया है। मगर जो टक्कर मारता है और विक्टिम को मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, तो हमने ऐसे हिट एंड रन केसेज़ में दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, इससे ऐसे लोगों को दंड मिलेगा।

मान्यवर, हमने सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगहों पर स्नैचिंग देखते हैं, चाहे मोबाइल हो या चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में तीन साल की सज़ा प्लस जुर्माने का नया प्रावधान स्नैचिंग के लिए किया गया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक तो यह है कि किसी ने किसी को मारा, थोड़ी इंजरी हुई और ड्रैसिंग वगैरह करके घर चले गए। इसके अलावा अगर आपने किसी को मारा और उससे वह ब्रेन-डेड हो गया या परमानेंस अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने न्यूनतम दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बरबाद हो जाएगा।

मान्यवर, हमने मॉब-लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे कम मॉब-लिंचिंग की घटनाएं आजादी

के बाद अगर कभी हुई हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में हुई हैं। फिर भी मॉब-लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान किया है। मान्यवर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर सबसे बड़ा लूपहोल कोई है, तो वह देरी है। न्याय के लिए हमारा मूल दर्शन बताता है कि समय पर जो न्याय मिलता है, वह ही न्याय है। उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट, तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हो, कुछ चीज़ें तो आपको भी पसंद नहीं आएंगी, परंतु यह जरूरी था, क्योंकि सालों-सालों तक किसी को न्याय न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस द्वारा दंडित कार्रवाई का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लिकेशन देने के बाद तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा - यह हमने किया है। तीन से सात साल के जो गंभीर मामले हैं, उनमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी सात दिन में जांच करने के बाद, उसको एफआईआर में सात दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों द्वारा नॉन-कॉग्निजेबल केसेज़ की डेली डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। यह अब पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाए। जांच की जो रिपोर्ट भेजनी है, उसमें पहले था कि भेजनी है, लेकिन समय की मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट तुरंत या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो और पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच - पहले इसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि सात दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर को चिकित्सा जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी।

पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस, यानी कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करनी है। ज्यादा से ज्यादा और 90 दिन तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी 180 दिन में कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया करेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिया गया है। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए अर्जी का एप्लिकेशन कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा। पहले 35 आरोपी एक के बाद एक ऐसा करते थे और 10 साल तक केस चलता रहता था। प्ली बारगेनिंग के लिए आरोपी आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही प्ली बारगेनिंग की अर्जी दे सकते हैं, जजमेंट के वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी।

मान्यवर, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन किया है - trial in absentia. इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके करके दुनिया में कहीं न कहीं छुप कर बैठे हैं। हम उनको सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा! कल ऑपोजिशन के द्वारा एक ऐसा भी विकृत तर्क दिया गया कि वे तो बाहर बैठे हैं। मान्यवर, सजा होते ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहाँ भेजने की बाध्यता आती है। मान्यवर, इन लोगों को इसकी समझ नहीं है। मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मुम्बई धमाके में 300 लोगों को मार कर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब

भारत का कोर्ट उसकी एबसेंस में उसको फाँसी की सजा सुनाएगा, तो आगे ऐसा करने वालों के ज़ेहन में भय का निर्माण होगा। देश के हजारों-करोड़ रुपए लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगा, सजा भी हो पाएगी। अगर इसके खिलाफ आपको अपील करनी है, तो यहाँ आइए, भारत के न्याय के सामने सरेंडर करिए और फिर अपील करिए। मैं मानता हूँ कि हमने यह बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला किया है।

मान्यवर, पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक पेश नहीं होते थे, हमने 30 दिन में पेश होने के लिए कहा है। अब अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे देना है, बाद में उसको कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। वह नहीं आएगा, तो कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। हमने जमानत के लिए भी बड़ा लिबरल निर्णय लिया है। पहली बार अपराध करने वाले ने अगर एक-तिहाई सजा भुगत ली है, मैं 7 साल से नीचे के केस की बात कर रहा हूँ, तो जमानत मिल जाएगी और सभी मामलों में आधी सजा हो गई है, अगर उसने दूसरी बार भी अपराध किया है, तो उसको जमानत मिल जाएगी। जजमेंट और सजा, यह 45 दिन के अंदर न्यायमूर्ति महोदय को पूर्ण कर देनी है। आप इसको महीनों तक लिंगर-ऑन नहीं कर सकते। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जजमेंट रिजर्व करने के बाद 45 दिन में कंपल्सरी जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट देने के बाद, दोषी घोषित करने के बाद 7 दिन में सजा देनी पड़ेगी।

मान्यवर, हमने दया याचिका के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज होने के 30 दिन में ही आप दया याचिका कर सकते हैं। दया याचिका कोई एनजीओ नहीं कर पाएगा। जिसने गुनाह किया है, उसको पछतावा जाहिर करके सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने दया माँगनी पड़ेगी, तभी दया याचिका मानी जाएगी। ऐसी ढेर सारी अर्जियाँ आती हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है, वे कहते हैं कि हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और कोई जाकर उनकी ओर से दया याचिका करता है। आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, फिर तो दया याचिका आपके ऊपर एप्लाई ही नहीं होती है! आप चढ़िए फाँसी पर! जिसके अंदर पछतावा नहीं है, उसको दया याचिका का अधिकार नहीं है। मान्यवर, हमने इसके लिए भी समय की मर्यादा निर्धारित की है।

मान्यवर, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, इसके लिए ई-एफआईआर से मैं मानता हूँ कि ढेर सारी माताएँ और बहनें, जो शर्म के मारे पुलिस थाने में नहीं जाती हैं, वे अपने घर से या किसी के मोबाइल से भी इसको एप्रोच कर सकती हैं। इससे उनको बड़ा फायदा होगा। उनका जवाब लेने के लिए, उनको उपस्थित होने के लिए भी महिलाओं की गरिमा का सम्मान इसमें रखा गया है।

8.00 P.M.

मान्यवर, हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि crime scene, investigation और trial - इन तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी को हमने compulsory भी किया है और कानूनी जामा भी पहनाया है। इससे पुलिस जाँच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी, दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। Criminal justice system को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किये गये हैं। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी

प्रक्रिया को digitize करने का काम हमने कानून के माध्यम से किया है। इसके लिए लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं कि यदि तैयारी नहीं होगी, तो क्या होगा। इसके अन्दर हमने प्रोविजन दिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को digitized घोषित कर सकती है, किसी एसपी के सारे थानों को digitized घोषित कर सकती है, किसी range के सारे थानों को digitized घोषित कर सकती है, किसी जिले को घोषित कर सकती है, किसी शहर को घोषित कर सकती है और अंततोगत्वा जब सब घोषित हो जाएँगे, तब राज्यों को घोषित करेंगे। तो जैसे-जैसे digitization का काम समाप्त होता जाएगा, notifications निकलते जाएँगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। मान्यवर, मैं आशा करता हूँ कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ UT को हम इस कानून के हिसाब से सम्पूर्ण digitize करने का काम समाप्त कर देंगे।

मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ई-मेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नम्बर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा और एसएमएस भेजने के बाद, वह एसएमएस खुला है या नहीं खुला है, वह भी रजिस्टर में ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी हमने निर्माण कर लिया है। तो किसी को भागने की कोई नौबत नहीं आएगी।

मान्यवर, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अविलम्ब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, वह रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट बाद में देंगे, परन्तु पुलिस जाँच के दौरान कोई भी बयान, जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने e-form के अन्दर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, हमने एक काम यह किया है कि जिन अपराधों के लिए 7 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, ऐसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कम्पल्सरी किया है। इसके लिए ढेर सारी मैनपावर चाहिए। कल लोक सभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया था। वह बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है! हमने 2020 में Forensic Science University बनायी और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांचेज़ बन गयी हैं और अगले साल से हर साल 35,000 Forensic Scientific Officers वहाँ से graduate होकर निकलेंगे। हमने mobile forensic science labs के जाल बुने हैं।

मान्यवर, मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग निर्दोष छूट गए, उनमें से 32 प्रतिशत लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहाँ कोर्ट ने कहा है कि *prima facie* case is there, परन्तु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं, FSL आने से उन लोगों का खराब समय चालू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, इनमें से कोई बच कर नहीं निकलेगा।

मान्यवर, हमने फॉरेंसिक को एक कॉंसेप्ट के रूप में स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-प्रॉसीक्यूशन, ई-पुलिस थाना, ई-गृह विभाग, ई-जेल और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। इसका मुझे विश्वास है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने सभी मोर्चों पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी, नागरिकों की सुविधा के लिए भी - मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता

- ढेर सारे प्रावधान किये गये हैं। पहले दो वर्ष तक के केस में summary trial की व्यवस्था थी। अब उसे 3 वर्ष तक का करके हमने 40 परसेंट केसेज़ को trial से बाहर निकाल दिया है, इनमें summary trial से निर्णय होगा। तो मान्यवर, हमने ज्युडिशियरी का बहुत बड़ा बोझ curtail करने का काम किया है।

पहले जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस होता था, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, मगर वह मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी होती थी, जिसे वे कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया कि अगर 120 दिनों के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा।

मान्यवर, इतना बड़ा देश अब तक जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। हमने पहली बार जमानत और बॉन्ड, इन दोनों को कानून के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की है। अंडरट्रायल कैदियों के लिए भी जैसा मैंने कहा, एक-तिहाई कारावास काट चुके कैदी, जो पहली बार के गुनहगार हैं और उन्होंने कितना भी गुनाह किया है, अगर उनका 50 परसेंट कारावास हो गया है तो उनको जमानत दे दी जाएगी। हम एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रूल्स में होगी और वह सभी राज्यों के लिए कम्पलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारी जजमेंट्स से स्पिरिट लेकर हमने विक्टिम प्रोटेक्शन की एक लीक प्रूफ स्कीम बनाई है, जो सबके सामने दी जाएगी। इसके अंदर घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रोविज़न भी डाला गया है। अगर कोई संपत्ति गुनाह से अर्जित की गई है, तो अब तक उस संपत्ति को कुर्क करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस अलग से एक अर्जी देती थी कि इस गुनाह से इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है, जिसे अब हम संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में ले लेंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की संपत्ति कुर्क करने की पद्धति को भी सरल बनाया गया है।

मान्यवर, इसमें सजा की माफी को तर्कसंगत किया गया है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, तो उसको एक साल के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर किसी को मृत्यु की सजा प्राप्त है, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। जिसको आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, उसमें जब वह सात साल की सजा भोग लेगा, तभी उसको छोड़ा जाएगा। जिसको सात साल या उससे अधिक के कारावास की सजा प्राप्त है, उसे कम से कम तीन साल तक जेल में रहने के बाद ही छोड़ा जाएगा। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल की सांठ-गांठ होती है, तब 20 साल के बाद सजा होती है और तीन महीने में ही अपराधी हार पहनकर स्वागत कराते-कराते जेल से बाहर आते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

मान्यवर, मैं संपत्तियों के नुकसान के बारे में कहना चाहता हूँ। ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह ही नीचे से आए हुए हैं और ये कई बार थानों में गए होंगे, जहाँ इन्होंने ढेर सारी साइकल्स, ऑटोज़ और टेम्पोज़ देखे होंगे, जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। उन थानों का पूरा परेड ग्राउंड इन संपत्तियों से भरा रहता है, लेकिन अब उनको संभालना नहीं है। उनकी 30 दिन में वीडियोग्राफी करके हराजी कर देनी है, पैसा कोर्ट में जमा करना है और अब उसके लिए नित्य अनुमति माँगने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, एक आदमी आज एसपी है, जिसने अपनी पहली पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है - कई सारे केसेज़ ऐसे होते हैं, जिनमें एसपी का सिग्नेचर कम्पलसरी होता है - जब उस केस की सुनवाई का समय आता है, तब वे डीजीपी बन जाते हैं। जब उनको बुलाया जाता है, तो उस समय उनको न कुछ याद होता है और न ही कुछ मालूम होता है, क्योंकि वह 25-30 साल पुरानी बात होती है। हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि जो एसपी होगा, उसके द्वारा की गई नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा, वही गवाही देगा, डीजीपी को आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मामले में कोर्ट उनसे सीधे पूछताछ करना चाहता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहता है, तो ही उसको सम्मन कर सकता है, मगर यह कोर्ट को निर्णय करना है और उसके अलावा यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।

मान्यवर, हम पहले जेल से 15 दिनों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन अब पूरा ट्रायल ऑनलाइन हो सकता है। अगर कोई गवाह चेन्नई में है, तब भी वह अहमदाबाद के कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, उसका क्रॉस-एग्जैमिनेशन भी हो सकता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। अब फोरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है और मान्यवर, आपको यह सुनकर आनन्द होगा कि अब अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई असम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है।

मान्यवर, इस बिल में हमने ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। हमने छोटे-मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस की व्यवस्था की है, जिससे जेलों का बर्डन घटेगा। यह मानवीय बात भी है कि जब किसी से पहली बार कोई अपराध हो गया है और वह कोई छोटा-मोटा अपराध है, तो उसको जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में न रखा जाए। यह बिल भारतीय न्याय-प्रणाली में पहली बार कम्युनिटी सर्विस के कॉन्सेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम कर रहा है, जिसका मुझे बड़ा आनन्द है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो युगपरिवर्तनकारी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है। ई-मेल, server logs, कंप्यूटर आदि की detailed व्याख्या की है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज़, वेबसाइट और लोकेशन को कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को add किया गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है। कागज़ी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज़, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ - अब 50 हज़ार पेज की चार्जशीट नहीं आएगी, आपके पास एक पेनड्राइव आएगी, जो आपके वकील के कम्प्यूटर में लगाकर देखना है। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

महोदय, साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख matching hash देने पर भी हमने व्यवस्था की है। पूरे ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था की है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है, किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनली बुलाने की ज़रूरत है, तो उनके पास यह अधिकार है और मैं मानता हूं कि यह अधिकार न्याय के हित में ज़रूरी है।

मान्यवर, दस्तावेज़ों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी। एफएसएल की रिपोर्ट थाने में जाती है और मिलीभगत से सालों तक कोर्ट में नहीं पहुंचती है। अब compulsory कर दिया गया है कि medical report थाने में भेजोगे, एक copy कोर्ट के Registrar को भेजोगे तो उसी दिन वह कोर्ट में चली जाएगी, थानेदार भी समझ जाएगा कि कोर्ट में पहुंच गई है, तो वह भी रख देगा। इस प्रकार के ढेर सारे छोटे-छोटे कई बदलाव करके हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कोई कानून कभी परिपूर्ण बन ही नहीं सकता है, समय बदलता है, ज़रूरतें भी बदलती हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि सौ साल की technique के अंदर जो बदलाव होंगे - Forensic Science University के साथ बैठ कर, ढेर सारे experts के साथ बैठकर इसको visualize करने का प्रयास किया है, वह technique तो आज है ही नहीं, तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे technique के लिए open हैं और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। हमने बहुत दूर-दर्शिता के साथ काम किया है। इन सारी चीज़ों में इसके electronic certification और इसकी गुप्तता पर भी बहुत ध्यान देकर एक leak-proof सिस्टम बनाने का प्रयास किया है।

मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कानून आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है और भारतीय दर्शन भी है। यह विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली देने वाला कानून बनने वाला है। यह त्वरित मूल भारतीय न्याय के दर्शन को ज़मीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और यह कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है।

मान्यवर, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर इसे सर्वानुमति से पारित कराने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 358 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-
कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall take up the motion regarding consideration of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 531 were added to the Bill.
The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-
कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall take up the motion regarding consideration of the Bharatiya Sakshya Bill, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 170 and the Schedule were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-
कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, the House has passed the Bills unanimously. That may also be brought on record.

MR. CHAIRMAN: Yes, when I said, 'those against, please say 'no', there was no voice, and my hearing capacity is very high. I receive even a low decibel. So, these three Bills that create history have been passed unanimously.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, announcement regarding Special Mentions. The approved text of permitted Special Mentions of hon. Members, Dr. Amar Patnaik, Shri Sushil Kumar Modi, Shri Niranjan Bishi and Dr. M. Thambidurai, who are present now, shall be treated as laid on the Table.

SPECIAL MENTIONS*

Demand for the establishment of a large scale industrial silk spinning unit in Odisha under Silk Samagra-2

डा. अमर पटनायक (ओडिशा): महोदय, रेशम-कीट-पालन को एक उद्योग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। सिल्क समग्र-2 केंद्रीय-क्षेत्र- योजना केवल 80.00 लाख रुपये के एक छोटे से

---

* Laid on the Table